भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

विज्ञापन संख्या 07/ग्रेड 'ए' और 'बी' / 2024-25

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में अधिकारियों की भर्ती –

सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग: 2024

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' **(सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग)** में अधिकारियों के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित हैं।

आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सिडबी लागू अपेक्षित शुल्क के साथ ऑन-लाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करेगा और साक्षात्कार / कार्यग्रहण के चरण में उनकी पात्रता का सत्यापन करेगा। यदि, किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि ऑन-लाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी / गलत है अथवा यदि बैंक के अनुसार, अभ्यर्थी पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, और उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होने / कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे इस आवेदन में उल्लिखित सभी निर्देशों और इस विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करें। **आवेदन का कोई अन्य साधन / माध्यम / प्रिंटआउट स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

सहायता सुविधा: फॉर्म भरने, शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान या कॉल लेटर डाउनलोड करने में कोई समस्या होने पर शिकायत http://cgrs.ibps.in/ पर "अभ्यर्थी शिकायत अंकन और निवारण तंत्र" पर की जा सकती है। ईमेल के शीर्षक में **"सिडबी अधिकारी - ग्रेड 'ए' और 'बी' - (सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग)"** का उल्लेख करना न भूलें।

महत्वपूर्ण तिथियां / समयरेखा	
ऑनलाइन पंजीकरण गेटवे / शुल्क भुगतान का आरंभ	**08 नवम्बर 2024**
ऑन-लाइन पंजीकरण गेटवे / शुल्क भुगतान बंद होना	**02 दिसम्बर 2024**
आयु के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि	**08 नवम्बर 2024**
शैक्षिक अर्हता / अर्हता पश्चात अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि	**02 दिसम्बर 2024**
ऑनलाइन परीक्षा की अनुमानित तिथि (चरण I)	**22 दिसम्बर 2024**
ऑनलाइन परीक्षा की अनुमानित तिथि (चरण II)	**19 जनवरी 2025**
साक्षात्कार का अनुमानित कार्यक्रम	**फरवरी 2025**

सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्था है। एमएसएमई क्षेत्र सिडबी का संकेंद्रित व्यवसाय डोमेन है।यह पिछले साढ़े सात दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है और इसने औद्योगिक क्षेत्र की रचनात्मकता, नवाचार और गत्यात्मकता में योगदान किया है, जिससे पूरे देश में औद्योगिक विकास का प्रसार हुआ है। सिडबी एमएसएमई के वित्तपोषण और संवर्द्धन तथा विकास के लिए विभिन्न योजनाएं परिचालित करता है।

सिडबी का ध्येय **ध्येय** 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह को सुगम तथा सबल बनाना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारितंत्र के वित्तीय तथा विकासपरक, दोनों प्रकार के अंतरालों की पूर्ति करना' *है*। सिडबी का **दर्शन** है 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वित्तीय और विकासपरक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एकल स्रोत के रूप में उभरना, ताकि यह क्षेत्र सशक्त, ऊर्जावान और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बन सके, सिडबी ब्रांड वरीय और ग्राहक-अनुकूल संस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो और शेयरधारकों के धन में वृद्धि हो एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्वोच्च कार्पोरेट मूल्यों का संवर्द्धन हो'

इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से, सिडबी अप्रत्यक्ष ऋण देने के लिए बैंकों, एसएफबी, एनबीएफसी, एमएफआई और न्यू एज फिनटेक के साथ स्वतःसक्रिय रूप से साझेदारी करता है, जिसका ध्यान संकेंद्रण एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण में गुणक प्रभाव/विस्तृत पहुंच पर होता है। सिडबी प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टरों में रणनीतिक प्रयास भी करता है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रदर्शन योग्य और रचनात्मक ऋण उत्पादों का प्रयोग कर एमएसएमई क्षेत्र में वर्तमान ऋण अंतराल को पाटना है, जिन्हें क्रेडिट वितरण पारितंत्र द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है।

सिडबी अपने फंड ऑफ फंड्स पहल के माध्यम से स्टार्टअप्स की सहायता करके भारत में उद्यमिता संस्कृति के विकास को भी सुगम बना रहा है। इसके अलावा, सिडबी क्रेडिट-प्लस प्रयासों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है और नवजात उद्यमों की सहायता कर रहा है, ताकि एमएसएमई क्षेत्र का व्यापक विकास हो। यह क्षमताओं के सुगमकर्ता के रूप में भी कार्य कर रहा है, जैसे सरकार की एमएसएमई-उन्मुख योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वाह।

सिडबी समान अवसर देनेवाला नियोक्ता है और मानता है कि ग्राहक सेवा प्रदान करने में इसके लोगों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका है। सिडबी का दृढ़ विश्वास है कि इसके मानव संसाधन इसकी सबसे मूल्यवान आस्ति हैं। तदनुसार, बैंक ऐसे गतिशील और महत्वाकांक्षी युवाओं की तलाश में है जो सिडबी की विकास गाथा का हिस्सा बन सकें और निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है-

1. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण का विवरण

पद का नाम / वेतनमान (` में), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (` प्रतिमाह)	सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' - सामान्य संवर्ग [`44500 - 2500 (4) - 54500 - 2850 (7) - 74450 - ईबी - 2850 (4) - 85850 - 3300 (1) - 89150 (17 वर्ष)] `1,00,000/- लगभग									
संवर्ग	**कुल रिक्तियों की संख्या**	**निम्नलिखित के लिए आरक्षित रिक्तियां**				**अनारक्षित**	**जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित**			
		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**	**ओबीसी**	**ईडब्ल्यूएस**		**वीआई**	**एचआई**	**ओसी**	**एमडी/आईडी***
सामान्य	50	6	4	14	3	23	-	1#	-	2#
कुल	**50**	**6**	**4**	**14**	**3**	**23**	**-**	**1**	**-**	**2**

पद का नाम / वेतनमान (` में), न्यूनतम सकल परिलब्धियां (` प्रतिमाह)	प्रबंधक ग्रेड 'बी' – सामान्य एवं विशेषज्ञ संवर्ग [`55200 - 2850 (9) - 80850 - ईबी - 2850 (2) - 86550 - 3300 (4) - 99750 (16 वर्ष)] `1,15,000/- लगभग									
संवर्ग	**कुल रिक्तियों की संख्या**	**निम्नलिखित के लिए आरक्षित रिक्तियां**				**अनारक्षित**	**जिसमें से पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित**			
		अनुसूचित जाति	**अनुसूचित जनजाति**	**ओबीसी**	**ईडब्ल्यूएस**		**वी आई**	**एच आई**	**ओ सी**	**एम डी / आई डी**
सामान्य	10	1	-	3	1	5	1	-	-	-
विधि	6	1	-	2	-	3	-	-	-	-
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)	6	1	-	1	1	3	-	-	1	-

[स्किल सेट- एआई/एमएल ऑटोमेशन/फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट/सिक्योरिटी/इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क]										
कुल	**22**	**3**	**-**	**6**	**2**	**11**	**1**	**-**	**1**	**-**

 # एचआई और एमडी/आईडी, प्रत्येक में 1 बैकलॉग रिक्ति

** यदि एमडी/आईडी उप-श्रेणी से उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है, तो बैकलॉग रिक्ति को **अन्य पीडब्ल्यूबीडी** उप-श्रेणी के अभ्यर्थी से भरा जाएगा, बशर्ते वह उपयुक्त पाया जाए।*

नोट:-

- **पीडब्ल्यूबीडी – बेंचमार्क *दिव्यांगतायुक्त* व्यक्ति जैसा कि "*दिव्यांग* जन अधिकार अधिनियम, 2016" में परिभाषित किया गया है।(i) *एचआई- श्रवण बाधित* (ii) ओसी - अस्थि से *दिव्यांग*; (iii) वीआई – दृष्टिबाधित; (iv) एमडी –बहुविध *दिव्यांगता* (v) आईडी - बौद्धिक *दिव्यांगता*।**

- **वर्तमान में, उपरोक्त वेतनमान में संशोधन लंबित है।**

(१) कोई अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किए जाने चाहिए। कई आवेदनों के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन को बरकरार रखा जाएगा, और अन्य एकाधिक पंजीकरण (णों) के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

(२) ऊपर उल्लिखित पद का पदनाम / नाम केवल सांकेतिक है। सिडबी को बिना किसी सूचना के किसी भी समय पद के पदनाम/नाम को बदलने का अधिकार है।

(३) सिडबी को अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाने और वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों पर विचार करने का अधिकार होगा। सिडबी की आवश्यकता के अनुसार प्रस्ताव / नियुक्ति पत्र चरणों में जारी किए जा सकते हैं।

(४) रिक्तियों की कुल संख्या, जिसमें अनारक्षित (यूआर) और ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, अनंतिम है और सिडबी की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए रिक्तियों में, संबंधित श्रेणियों में बैकलॉग और कमी, यदि कोई हो, शामिल हैं। ऊपर बताई गई आरक्षित रिक्तियों की सही संख्या जारी किए गए प्रस्ताव पत्रों / नियुक्ति पत्रों की वास्तविक संख्या/वास्तव में कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है।

(५) 'ऑनलाइन' पंजीकरण गेटवे के बंद होने की तारीख को **'क्रीमी लेयर'** के तहत आने वाले ओबीसी आवेदकों को अनारक्षित माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन करें।

(६) आरक्षण का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगता की परिभाषा और दिव्यांगता की डिग्री समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी। अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेब साइट का अवलोकन कर सकते हैं।

(७) यह स्पष्ट किया जाता है कि सिडबी के सभी कार्यालयों / विभागों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियोजित करना संभव नहीं हो सकता है और उन्हें इस संबंध में सिडबी द्वारा तय किए गए पद / केंद्रों में काम करना होगा।

(८) सिडबी एमडी/आईडी अभ्यर्थियों के बीच आरक्षण के परस्पर अदला-बदली की अनुमति दे सकता है, बशर्ते किसी निर्दिष्ट श्रेणी के उपयुक्त आवेदक उपलब्ध न हों।

(९) उपर्युक्त पद सिडबी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी खुले हैं। सिडबी को अधिकार होगा कि वह जैसी उपयुक्त समझे वैसी छूट/रियायत ऊपरी आयु सीमा, आवेदन शुल्क आदि में प्रदान करे।

2. सेवा शर्तें/कैरियर संभावनाएं आदि

(१) वर्तमान में, सकल परिलब्धियों में महंगाई भत्ता, ग्रेड भत्ता, विशेष भत्ता, स्थानीय प्रतिपूरक भत्ता आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी "निश्चित अंशदायी नई पेंशन योजना (एनपीएस)', या समय-

समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य योजना से शासित होंगे।

(२) ऊपर दिए गए वेतनमान के अनुसार परिलब्धियों के साथ-साथ, ऊपर उल्लिखित पदों में ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत (स्वयं, पति या पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए दो साल में एक बार), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वाहन रखरखाव खर्च / भत्ता, लाउंज खर्च, टेलीफोन व्यय, समाचार पत्र, पुस्तक अनुदान, शिक्षा व्यय, आवास सज्जा के लिए भत्ता, एक महीने की सकल परिलब्धियों तक ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम, सिडबी के आवास या उसके बदले लीज्ड फ्लैट सुविधा, कार, आवास, यात्रा, पर्सनल कंप्यूटर / टैबलेट आदि के लिए रियायती दरों पर ऋण और अग्रिम जैसी अन्य सुविधाएं सिडबी के नियमों के अनुसार होंगी। तैनाती की जगह के आधार पर राशि भिन्न हो सकती है। तैनाती के स्थान के आधार पर ग्रेड ए के अधिकारियों का सीटीसी **रु 19 लाख से रु 21 लाख और** ग्रेड बी के अधिकारियों का **सीटीसी रु 23.5 लाख से रु 26 लाख तक है।**

(३) सिडबी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने **जेएआईआईबी/सीएआईआईबी अर्हता प्राप्त कर** ली है (सिडबी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले) वे वेतनमान में एक/दो अग्रिम वेतनवृद्धियों के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, बशर्ते कि इस संबंध में सिडबी की संतुष्टि के अनुरूप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए।

(४) सिडबी, अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यर्थियों को, जिनके पास सिडबी के लिए अच्छी शैक्षणिक योग्यता या विशेष अनुभव है, पद के प्रस्तावित वेतनमान में 4 से अनधिक अग्रिम वेतन वृद्धियां (जेएआईआईबी/सीएआईआईबी वेतनवृद्धि सहित) प्रदान कर सकता है। तथापि, ऐसे अनुरोधों की सिडबी द्वारा अलग अलग मामले के आधार पर जांच तभी की जाएगी जब अभ्यर्थी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर चुका हो और सिडबी की अपेक्षा के अनुरूप आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हों। ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने या न करने तथा ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियां प्रदान करने की तारीख के संबंध में सिडबी का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(५) **परिवीक्षा और तैनाती / स्थानांतरण** – चयनित अभ्यर्थी 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे जो सिडबी के विवेक पर अधिकतम 4 साल तक बढ़ायी जा सकती है। चयनित अभ्यर्थियों को सिडबी के विवेकानुसार समय-समय पर सिडबी के विभिन्न कार्यालयों / उद्भागों / सहयोगियों / सहायक कंपनियों में और सिडबी द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर तैनात / स्थानांतरित किया जा सकता है।

(६) **कौशल उन्नयन: -करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने और संगठन में उज्ज्वल भविष्य के लिए, नियमित रूप से कौशल का उन्नयन करना और उद्योग के रुझानों के साथ खुद को अद्यतन करते रहना आवश्यक है।**

(७) **ग्रेड 'डी' और उच्चतर ग्रेड में सभी अधिकारियों की कैरियर प्रगति एक ही सामान्य संवर्ग में या समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार होगी।**

3. आरक्षण/छूट/रियायतें

i. सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को आरक्षण / छूट / रियायतें दी जाएंगी।

ii. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडबल्यूबीडी) के लिए आरक्षण –

"दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथापरिभाषित और समय-समय पर दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अधिसूचित दिव्यांग श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों को चिह्नित किया जाता है.

(क) अस्थि दिव्यांगता "ओसी" श्रेणी:

मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की वेदना के परिणामस्वरूप स्वयं और वस्तुओं के हिलने-डुलने से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की असमर्थता, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुका कुष्ठ रोठ, बौनापन, मांसपेशी अपविकास और एसिड अटैक पीड़ित शामिल हैं। अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों को निम्नलिखित बेंचमार्क के साथ लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत कवर किया जाता है:

(अ) ओए - एक बाँह प्रभावित (दाईं या बाईं)

(आ) ओएल - एक टाँग प्रभावित **(**दाईं या बाईं**)**

(इ) ओएएल - एक बाँह और एक टाँग प्रभावित

(ई) बीएल - दोनों टाँगे प्रभावित लेकिन बाँहें नहीं

ओए और ओएएल श्रेणी वाले व्यक्तियों को हाथ से सामान्य द्विपक्षीय कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।

(i) "कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन निम्नलिखित से पीड़ित है:

(अ) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना हानि और मांसपेशी पक्षाघात, लेकिन बिना किसी प्रकट विकृति के;

(आ) प्रकट विकृति और मांसपेशी पक्षाघात लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होने के कारण सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने में सक्षम ;

(इ) अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अधिक उम्र जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती हो, और अभिव्यक्ति "ठीक हुआ कुष्ठ रोग" का आशय तदनुसार लगाया जाएगा;

(ii) "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ है शरीर के हिलने-डुलने और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो कि आमतौर पर जन्म के पहले, जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद हुआ होता है;

(iii) "बौनापन" का अर्थ है एक चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(iv) "मस्कुलर डिस्ट्रॉफी" का अर्थ है वंशानुगत जेनेटिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह जो मानव शरीर के चलने-फिरने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और बहुविध डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत और लापता जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी उल्लेखनीय बातें हैं - स्केलटल मांसपेशियों की बढ़ती हुई कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष, और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतक की मृत्यु;

(v) "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंककर किए गए हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(ख) दृष्टि बाधा ("VI" श्रेणी): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक से पीड़ित हैं, आवेदन करने के पात्र हैं।

(i) अंधापन:

(क) दृष्टि की कुल अनुपस्थिति; अथवा

(ख) सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; अथवा

(ग) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम का कोण अंतरित करती हो

(ii) कम दृष्टि:

(अ) सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम न हो 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक ; अथवा

(आ) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम और 10 डिग्री तक का कोण अंतरित करती हो।

(ग) श्रवण बाधित ("एचआई" श्रेणी):

(१) **बहरा:** इसका अर्थ है कि दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि वाला व्यक्ति।

(२) **ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति** का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में भाषण आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण हानि हो।

(घ) "आईडी" श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के तहत आवेदन करने

के पात्र हैं:

(i) **बौद्धिक दिव्यांगता**

(अ)ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) का अर्थ है एक न्यूरो-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

(आ) "मानसिक बीमारी" (एमआई) का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार, जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के बद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की अव-सामान्यता है।

(ङ) "बहुविध दिव्यांगता" का अर्थ है खंड "क", "ख", "ग", "घ (i)" के बीच से कई दिव्यांगताएं।

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता" का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40% से कम न हो, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें ऐसे दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया हो, जो कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाए।

- ✓ जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाणपत्र सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।
- ✓ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016" में यथानिर्दिष्ट और सिडबी द्वारा यथानिर्धारित रूप में होगा।
- ✓ पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी हाल ही का दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित एक मेडिकल बोर्ड होगा। केंद्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड (बोर्डों) का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम एक चलने-फिरने/प्रमस्तिष्क/दृश्य/श्रवण दिव्यांगता या किसी अन्य दिव्यांगता का आकलन करने के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। इस तरह के लाभों के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय / प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र (इस विज्ञापन के अंत में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है और इन्हें संबंधित आरक्षण रोस्टर में पदधारियों की संख्या के प्रति समायोजित किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप सिडबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लेखनकर्ता और प्रतिपूरक समय के उपयोग के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिशानिर्देश

क. 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति: दृष्टिबाधित अभ्यर्थी और अभ्यर्थी जिनकी लेखन गति किसी भी कारण से स्थायी रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अपनी लागत पर अपने स्वयं के लेखनकर्ता का उपयोग कर सकते हैं, जो नीचे **(ग) और (घ) में दी गई सीमाओं के अधीन होगा** । ऐसे सभी मामलों में जहां एक लेखनकर्ता का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

(१) अभ्यर्थी को अपने स्वयं के खर्च पर अपने स्वयं के लेखनकर्ता की व्यवस्था करनी होगी।

(२) अभ्यर्थी द्वारा जिस लेखनकर्ता की व्यवस्था की गई हो वह उसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और लेखनकर्ता दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी परीक्षा में लेखनकर्ता की सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में हमेशा सावधानी से इसका उल्लेख करना चाहिए। बाद के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(३) एक अभ्यर्थी के लिए लेखनकर्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति दूसरे अभ्यर्थी का लेखनकर्ता नहीं हो सकता।

(४) लेखनकर्ता किसी भी शैक्षणिक संवर्ग से हो सकता है। तथापि, सामान्य विषयों के अलावा अन्य विषयों के पदों के लिए लेखनकर्ता उस पद के लिए निर्धारित शैक्षिक संवर्ग से भिन्न शैक्षणिक संवर्ग से होना चाहिए।

(५) अभ्यर्थी और साथ ही लेखनकर्ता दोनों को एक उपयुक्त वचनपत्र देना होगा जो पुष्टि करता हो कि लेखनकर्ता ऊपर उल्लिखित लेखनकर्ता के सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी भी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या सारभूत तथ्यों को दबा दिया है, तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भले ही ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार का परिणाम / अंतिम परिणाम कुछ भी हो।

(६) वे अभ्यर्थी जो लेखनकर्ता का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे अथवा जैसा अन्यथा सूचित किया गया हो। पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी जो टाइप करने / लिखने (गति के साथ टाइप करने / लिखने सहित) संबंधी शारीरिक सीमा से ग्रस्त है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, चाहे वे लेखनकर्ता की सुविधा का लाभ उठा रहे हों या नहीं।

(७) लेखनकर्ता को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। इस तरह के किसी भी व्यवहार के पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(८) केवल प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतें दी जाएंगी क्योंकि अभ्यर्थियों को दिया गया प्रतिपूरक समय सिस्टम आधारित होगा। यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा। प्रतिपूरक समय के लिए पंजीकृत नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को ऐसी रियायतों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(९) अभ्यर्थी को केवल तभी लेखनकर्ता/प्रतिपूरक समय का उपयोग करने का विकल्प चुनना चाहिए जब वे इस संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत भारत सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन सेवाओं/रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र हों।

(१०) लेखनकर्ता का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगता मामलों के विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 26 फरवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 16-110/2003-डीडीIII द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

(११) कोई भी अभ्यर्थी जो लेखनकर्ता का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में लेखनकर्ता का उपयोग करने के लिए पात्र है। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन या सारभूत तथ्यों को छिपाने पर पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी और लेखनकर्ता के खिलाफ किसी भी अन्य कार्रवाई, जिसे बैंक उचित समझे, के अतिरिक्त होगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी बैंक में कार्यग्रणहण कर चुका होगा, तो उसे बिना किसी सूचना के बैंक की सेवा से हटाया जा सकता है।

(१२) परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि लेखनकर्ता स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि परीक्षा प्रशासन कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद सूचित किया जाए कि लेखनकर्ता ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया था, तो भी लेखनकर्ता की सेवाओं का उपयोग करने वाले उस अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ख. 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति: पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों (जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है) पर लागू निर्देशों के अलावा, निम्नलिखित नियम उन निर्दिष्ट दिव्यांगतायुक्त व्यक्तियों के लिए लागू होंगे, जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए हैं, अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है:

(i) लेखनकर्ता और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, बशर्ते वह सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से परिशिष्ट I में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे की संबंधित व्यक्ति को लिखने में कठिनाई है और परीक्षा में लिखने के लिए उसकी ओर से लेखनकर्ता आवश्यक है।

लेखनकर्ता की योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने लेखनकर्ता का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी को परिशिष्ट II में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने लेखनकर्ता का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ग. लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

- ✓ लोकोमोटर दिव्यांगता और सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए हर घंटे के लिए 20 मिनट अथवा अन्यथा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रमुख (लेखन) एक्सट्रीमिटी कार्य निष्पादन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित करती हो (न्यूनतम 40% हानि)।

घ. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

- ✓ दृष्टिबाधित अभ्यर्थी (जिनकी दिव्यांगता 40% से कम नहीं हैं) परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे सभी अभ्यर्थी परीक्षा के हर घंटे के लिए 20 मिनट अथवा अन्यथा दी गई सूचना के अनुसार प्रतिपूरक समय हेतु पात्र होंगे।

नोट: केवल बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क दिव्यांगता" का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई निर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम न हो, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें ऐसे दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं, जिनकी दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया हो, जो कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाए। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है, उसे भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाणपत्र सत्यापन/पुन: सत्यापन के अधीन होगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाए।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के संदर्भ में परिवर्तित हो सकते हैं।

(iii)ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण

(क) जो व्यक्ति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय **8 लाख रु (आठ लाख रु मात्र) से कम है,** उन्हें **आरक्षण** लाभ हेतु **ईडब्ल्यूएस के रूप में** निर्धारित किया जाएगा।

(ख) आय में सभी स्रोतों से आय शामिल होगी, अर्थात, वेतन, कृषि, कारोबार, पेशा आदि और यह आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी। साथ ही, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में निर्धारित नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो:

i.) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि।

ii.) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।

iii.) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

iv.) अधिसूचित नगरपालिकाओं को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(ग) ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय किसी "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को क्लब किया जाएगा।

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के समय भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता होगी।

(ङ) इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में शामिल हैं - जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

(च) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनुमानित हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं।

ये दिशा-निर्देश भारत सरकार के दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के संदर्भ में समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. पात्रता मानदंड

4.1 राष्ट्रीयता / नागरिकता

एक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह

(१) भारत का नागरिक हो, अथवा

(२) नेपाल का नागरिक, अथवा

(३) भूटान की प्रजा हो, अथवा

(४) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो (जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था); अथवा

(५) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों - केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानीका और जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हुआ आप्रवासी हो।

बशर्ते उपरोक्त श्रेणियों (ii), (iii), (iv) या (v) से संबंधित अभ्यर्थी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। एक अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, सिडबी द्वारा आयोजित परीक्षा / साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अंतिम चयन पर, नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हों।

4.2 यथा 08 नवंबर, 2024 को आयु सीमा (4.3 के साथ पढ़ा जाए)

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा
क. ग्रेड 'ए' में अधिकारियों के लिए: 21 वर्ष **से कम और** 30 वर्ष **से अधिक** न हो *(केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनका जन्म 08.11.1994 से पहले और 09.11.2003 के बाद न हुआ है [दोनों दिन सहित])* ख. ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के लिए: 25 वर्ष **से कम और** 33 वर्ष **से अधिक** न हो *(केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं जिनका जन्म 08.11.1991 से पहले और 09.11.1999 के बाद न हुआ हो[दोनों दिन सहित])*

4.3 ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार उपलब्ध होगी: -

क्रमांक	श्रेणी	आयु में छूट
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	3 वर्ष
3	पीडब्ल्यूबीडी [अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस] *बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो कि "दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016" के*	10 वर्ष

क्रमांक	श्रेणी	आयु में छूट
	तहत परिभाषित हैं।	
	पीडब्ल्यूबीडी [ओबीसी अभ्यर्थी] *[ओबीसी छूट के साथ संचयी]*	13 वर्ष
	पीडब्ल्यूबीडी [एससी / एसटी अभ्यर्थी] *[एससी / एसटी छूट के साथ संचयी]*	15 वर्ष
4	भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी [भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर पुनः रोजगार) संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार] भूतपूर्व सैनिक, कमीशन अधिकारी, आपातकालीन कमीशन अधिकारियों (ईसीओ) / अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों (एसएससीओ), जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा प्रदान की है और जिन्हें असाइनमेंट पूरा होने पर कार्यमुक्त कर दिया गया है (इसमें वे भी शामिल हैं जिनका असाइनमेंट आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा होने वाला हो) किंतु यह कार्यमुक्ति कदाचार या अक्षमता या सैन्य सेवा से संबद्ध की जा सकने योग्य शारीरिक दिव्यांगता के कारण बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने के फलस्वरूप न हुई हो।	5 वर्ष
5	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	5 वर्ष

नोट: (i) निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए लागू है।

(ii) आयु में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय और सिडबी द्वारा अपेक्षित भर्ती प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में आवश्यक प्रमाण पत्र (त्रों) की मूल प्रति(याँ) / फोटोकॉपी प्रस्तुत करनी होंगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह खंड होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है, जिसे भारत सरकार के तहत सिविल पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों से बाहर रखा गया है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में सामान्य के रूप में अपनी श्रेणी इंगित करनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर खंड के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(iii) यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है तो वह किसी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तथापि, इसका लाभ उठाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में शामिल होता है, उसे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के तारीख-वार ब्यौरे के बारे में स्व-घोषणा/वचन पत्र देना चाहिए जिसके लिए उसने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहां भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। अधिकारी संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(iv) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, आयु में छूट संचयी आधार पर उपलब्ध नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जिनका उल्लेख ऊपर दी गई तालिका में किया गया है, और विभागीय / स्टाफ अभ्यर्थी के लिए 5 साल तक होगी जैसा कि मद सं.4.4 के नोट के क्रमांक (iii) में वर्णित है।

4.4 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:

पदों का नाम	संवर्ग	आयु (वर्ष) अधिकतम	शैक्षणिक योग्यता	योग्यता-पश्चात न्यूनतम कार्य अनुभव
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए'	**सामान्य**	30	(i)वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/ व्यवसाय प्रशासन/इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) अथवा (ii) कंपनी सचिव (सीएस) / प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार (सीएमए / आईसीडब्ल्यूए) / चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) अथवा (iii) सनदी लेखाकार (सीए) अथवा (iv)एमबीए / पीजीडीएम [किसी भी विषय में (*पाठ्यक्रम पूर्णकालिक 2 साल का होना चाहिए*)] / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय / संस्थान से **नोट**: स्नातक स्तर पर, जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार से मान्यताप्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया है, जो कक्षा बारहवीं के बाद लिया गया है और जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष है, वे ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के अधीन परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। स्नातकोत्तर स्तर/मास्टर डिग्री स्तर पर, जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया हो, जो स्नातक के बाद लिया गया हो और जिसकी अवधि कम	**केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी शैक्षिक योग्यता (i)** वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी/व्यवसाय प्रशासन/इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) अथवा **(ii)** कंपनी सचिव (सीएस)/प्रमाणित प्रबंधन लेखाकार (सीएमए/आईसीडब्ल्यूए)/चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) हो **<u>अनिवार्य:</u>** क. निम्नलिखित संस्थाओं में अधिकारी (स्थायी) के रूप में एमएसएमई/कॉर्पोरेट ऋण वितरण और व्यापार ऋण तथा छोटे वाणिज्यिक ऋणों के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव (व्यक्तिगत ऋण, शैक्षिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण आदि से संबंधित अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा) (अ) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) तथा सिडबी। अथवा (आ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं अथवा (इ) भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ **नोट**: - जिन अभ्यर्थियों के पास (ऊपर क्रमांक

			से कम 2 वर्ष हो, वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। **नोट:** अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं, परंतु उन्हें कार्यग्रहण के समय (यदि चयनित हो) अंतिम मार्कशीट और अनंतिम / अंतिम स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।	(अ), (आ), और (इ) को मिलाकर) **दो वर्ष का** संयुक्त अनुभव है, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। अथवा **ख. अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित संस्थाओं में** कम से कम 2 वर्ष का अनुभव **(कोर कामकाज से संबंधित) हो** : i. सेबी के साथ पंजीकृत निवेश बैंकिंग/मर्चेंट बैंकिंग का काम करने वाली संस्थाएं, अथवा ii. सेबी के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) का काम करने वाली संस्थाएं अथवा iii. आरबीआई के साथ पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) अथवा iv. एमएसएमई खंड में काम करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सहायक कंपनियां अथवा v. 10 वर्षों से अधिक समय से इसी क्षेत्र में परामर्श और परियोजना प्रबंधन के अनुभव वाली राष्ट्रीय महत्व की कंसल्टेंसी फर्मों के साथ परियोजना प्रबंधन (अर्थात राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं/योजनाओं का प्रशासन और कार्यान्वयन) का अनुभव हो और परामर्श/परियोजना प्रबंधन, सरकारी परियोजना कार्यान्वयन/सरकारी परियोजना प्रबंधन/ऋण संबंधी डिजिटल परियोजना / सरकारी परियोजनाओं को परामर्श का विशिष्ट अनुभव हो। **नोट** - क्रम सं **(iii) और (iv)** पर इंगित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए योग्यता पश्चात **न्यूनतम** कार्य अनुभव मानदंड आवश्यक नहीं है**।**

प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**सामान्य**	33	न्यूनतम 60% (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए 50%) अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक / समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता अथवा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर / समकक्ष तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता - सभी सेमेस्टर / वर्षों के कुल योग में न्यूनतम 55% अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए उत्तीर्ण अंकों) के साथ **नोट:** स्नातक स्तर पर, जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार से मान्यताप्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया है, जो कक्षा बारहवीं के बाद लिया गया है और जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष है, वे ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के अधीन परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। स्नातकोत्तर स्तर/मास्टर डिग्री स्तर पर, जिन अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान से ऐसा कोई पाठ्यक्रम लिया हो, जो स्नातक के बाद लिया गया हो और जिसकी अवधि कम से कम 2 वर्ष हो, वे ऊपर निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के अधीन परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।	**अनिवार्य:** निम्नलिखित संस्थाओं में एक अधिकारी (स्थायी) के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव: (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) तथा सिडबी अथवा (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं अथवा (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी **नोट:** (ऊपर क्रम सं. (क), (ख), (ग) और (घ) पर उल्लिखित संस्थाओं में) पाँच वर्ष का संयुक्त अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। **वांछनीय:-** अधिमानतः भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा आयोजित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षा उत्तीर्ण की हो

प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**विधि**	33	**अनिवार्य**: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50% (एससी / एसटी और पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों के लिए 45%, उनके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं तो) अंक या उसके समतुल्य, सभी सेमेस्टर / वर्षों के कुल योग में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अधिवक्ता के रूप में नामांकन हो **वांछनीय**: (क) जिन अभ्यर्थियों के पास विधि में मास्टर डिग्री है / जो कंपनी सचिव (सीएस) परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। (ख) कंप्यूटर अनुप्रयोगों में प्रवीणता।	**अनिवार्य:** विधि में स्नातक की डिग्री के पश्चात् निम्नलिखित संस्थाओँ के विधि विभाग में एक विधि अधिकारी [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष संविदा पर (आउटसोर्स नहीं)] के रूप में कम से कम पांच वर्ष का कार्य अनुभव,: (क) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा (ख) कोई भी अखिल भारतीय वित्तीय संस्था जैसे - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) तथा सिडबी अथवा (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं अथवा (घ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अथवा (ङ) आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी **नोट:** - जिन अभ्यर्थियों के पास (ऊपर क्रम सं. (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) पर उल्लिखित संस्थाओँ में) **<u>पांच साल का</u>** संयुक्त अनुभव है वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं। **वांछनीय:** बैंकिंग कानून, कंपनी कानून, श्रम कानून, संवैधानिक कानून, वसूली, दिवाला और शोधनअक्षमता कानून, संपत्ति और राजस्व मामलों आदि का विशेष ज्ञान और दलीलों और दस्तावेजों के प्रारूपण का अनुभव।

प्रबंधक ग्रेड 'बी'	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) (स्किल सेट-एआई/एमएल ऑटोमेशन/फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलपमेंट/सिक्योरिटी/इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क)**	33	**आवश्यक :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री / सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित 60% अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55%) के साथ समग्र रूप से । अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एमसीए, सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित 60% अंकों (एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी आवेदक 55%) के साथ समग्र रूप से । **वांछनीय:** जिन उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित उद्योग-विशेष के प्रासंगिक प्रमाणपत्र हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी: एआई/एमएल/डेटा साइंस अथवा पूर्ण स्टैक अनुप्रयोग विकास अथवा सीआईएसएसपी, सीआईएसएम, सीईएच का या समकक्ष प्रमाणपत्र अथवा आईटी सेवा प्रबंध में आईटीआईएल फाउंडेशन द्वारा प्रमाणित	**आवश्यक :** आईटी / सिस्टम अधिकारी के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम पांच साल का अनुभव [स्थायी / पूर्णकालिक प्रत्यक्ष अनुबंध पर (आउटसोर्स नहीं)] (ए) अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) तथा सिडबी। अथवा (बी) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। अथवा (सी) सूचीबद्ध कंपनियां अथवा (डी) आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी नोट: मिश्रित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार (क्रम सं. (ए), (बी), (सी) और (डी) ऊपर) पांच साल के आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ऊपर उल्लिखित पांच वर्षों के अनुभव में से: - कम से कम 2 वर्ष का अनुभव एमएल / डीप लर्निंग एल्गोरिदम के विकास में व्यावहारिक अनुभव के साथ एआई / एमएल सॉल्यूशंस में होना चाहिए और - पायथन, आर प्रोग्रामिंग में कम से कम 2 साल का अनुभव होगा। अथवा - कम से कम 2 साल का अनुभव वेब अनुप्रयोग विकास में होगा और - आरडीबीएमएस, एसक्यूएल और पीएल एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में कम

				से कम 2 साल का अनुभव होगा। अथवा - आईटी सुरक्षा प्रबंध में 5 साल का अनुभव। अथवा - आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्रबंध में 5 साल का अनुभव **वांछनीय :** - रिमोट प्रोसेस ऑटोमेशन टूल्स में काम करने का अनुभव । अथवा - यूआई कौशल में काम करने का अनुभव । अथवा - उद्योग-स्तरीय सुरक्षा समाधानों को डिज़ाइन करने, कार्यान्वित करने और तत्संबंधी प्रबंध संपन्न करने का अनुभव। - सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए विविध टीमों और हितधारकों के साथ काम करने का अनुभव। अथवा - नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन/क्लाउड और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रबंध का अनुभव। - उच्चतर उपलब्धता, विश्वसनीयता और मापनीयता सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के डिजाइन सिद्धांतों से संबंधित कार्यानुभव।

नोट: i एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए। कई आवेदनों के मामले में, केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन पर ही विचार किया जाएगा और अन्य एकाधिक पंजीकरण (णों) के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क /सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

ii सिडबी को अनुक्रिया के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अंकों के प्रतिशत में पात्रता मानदंड बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार होगा। उम्मीदवार के पास वैध मार्क-शीट / डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह स्नातक / स्नातकोत्तर है, जो इस प्रक्रिया में पंजीकरण के दिन लागू होता हो और जिसमें

ऑनलाइन पंजीकरण करते समय स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का उल्लेख हो। जिन उम्मीदवारों के परिणाम की प्रतीक्षित हों, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

iii स्टाफ उम्मीदवार (सिडबी के केवल स्थायी कर्मचारी) भी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जिसके लिए उन्हें आयु में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है और सामान्य भर्ती में लागू आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी जा सकती है। 5 वर्ष की आयु संबंधी छूट उनके संबंधित श्रेणी अर्थात् एससी / एसटी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी को पहले से ही प्रदान की गई आयु में छूट के अतिरिक्त होगी।

iv प्रतिशत अंक सभी सत्रों (सेमेस्टरों) /वर्ष (वर्षों) में सभी विषयों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों को सम्मान/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो तो, से निरपेक्ष सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके निकाला जाएगा। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां कक्षा/ग्रेड का निर्धारण केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर किया जाता है। उम्मीदवार से स्नातक /स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत का उल्लेख अपेक्षित होगा। इस संबंध में, जैसी भी स्थिति हो, ऑनलाइन आवेदन में निकटतम दो दशमलव तक गणना की जाती है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिशत के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा अर्थात 5999% को 60% से कम और 5499% को 55% से कम माना जाएगा।

v कुछ विश्वविद्यालय / संस्थान श्रेणी या अंकों का प्रतिशत प्रदान नहीं करते हैं और कुल ग्रेड अंक आवंटित करते हैं [जैसे सीजीपीए / ओजीपीए / सीपीआई आदि]। जहां सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई प्रदान किया जाता है, उसे ऑनलाइन आवेदन में किए गए उल्लेख के अनुसार प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्थान एग्रीगेट ग्रेड प्वाइंट को श्रेणी में बदलने और/या अंकों के प्रतिशत के लिए मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। तथापि, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान समग्र ग्रेड प्वाइंट को कक्षा में परिवतत करने और/अथवा अंकों के प्रतिशत के लिए मानदंड परिभाषित नहीं करता है, वहां अपरिभाषित मानदंड निम्नानुसार तैयार किए जाएंगे :

समतुल्य सीजीपीए / ओजीपीए / सीपीआई या इसी तरह की शब्दावली 10-पॉइंट स्केल पर आवंटित की गई	**वर्ग/प्रभाग**	**अंकों का कुल %**
6.75	I [प्रथम]	60%
6.25	II [द्वितीय]	55%
5.75	II [द्वितीय]	50%
5.25	II [द्वितीय]	45%

एग्रीगेट ग्रेड प्वाइंट या प्रदान किए गए अंकों का प्रतिशत, पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए समग्र रूप में होगा।

vi जहां एग्रीगेट ग्रेड प्वाइंट [सीजीपीए / ओजीपीए / सीपीआई आदि] को 10 के अलावा किसी अन्य संख्या में से निर्धारित जाता है तो, इसे 10 में से सामान्यीकृत किया जाएगा और उपरोक्त मद सं. आइटम [v] के अनुसार इसकी गणना की जाएगी।

vii सभी शैक्षणिक योग्यताएं यूजीसी / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए।

viii **02 दिसंबर, 2024 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों** के संबंध में बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उचित दस्तावेज, साक्षात्कार/कार्यग्रहण के समय, यदि चयनित हो तो, (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन) प्रस्तुत करना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि मार्कशीट पर प्रदर्शित होने वाली तिथि या विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी अस्थायी प्रमाण पत्र होगी। यदि किसी विशेष परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर जारी किया गया हो और वेब आधारित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो मूल रूप से जारी किए गए और विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उचित दस्तावेज/प्रमाण पत्र जिसमें उत्तीर्ण होने की तारीख का उल्लेख किया गया है, सत्यापन और आगे की प्रक्रिया के लिए आधार मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार/ कार्यग्रहण के समय मूल में अनंतिम / अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, यदि चुना गया है (साक्षात्कार के समय इस संबंध में वचन प्रस्तुत करने के अधीन) अनिवार्य है और ऐसा करने में विफल रहने वाले आवेदकों की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

ix. **अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले आवेदकों के मामले में**, आवेदक को कार्यग्रहण के समय (यदि चयनित हो) अंतिम मार्कशीट और अनंतिम / अंतिम स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर आवेदकों की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

5. कार्य का स्वरूप : -

पद	कार्य का स्वरूप
सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य वर्ग)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान करें - • व्यवसाय विकास, एमएसएमई के ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन, मंजूरी, संवितरण, ग्राहक प्रबंध, ऋण निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई। • प्रस्तावों/लेखाओं की समीक्षा/नवीकरण को समय पर पूरा करना। • शाखा के प्रत्यक्ष ऋण के बकाया संविभाग के संबंध में व्यावसायिक अभिवृद्धि। • निर्धारित वर्ष-विशेष में शामिल नए ग्राहकों में वृद्धि। • विभिन्न मंचों पर सिडबी का प्रतिनिधित्व करते हुए, विभिन्न ऋण समितियों की सदस्यता । • मांग की गई देय राशियों की समय पर वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई सहित एसएमए और एनपीए का प्रबंध। बीओ में कानूनी मुद्दों का समन्वय और सुविधा प्रदान करना। • एमआईएस और अन्य रिपोर्टों (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) को एचओ वर्टिकल को समय पर प्रस्तुत करना। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सामान्य वर्ग)	सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' की जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, अधिकारियों से बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में अतिसक्रिय योगदान अपेक्षित होगा - • प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ऋण प्रदायगी और निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई, अल्पऋण, स्टार्टअप/वेंचर कैपिटल क्षेत्र में ऋण की पहुँच को बढ़ाना। • एमएसएमई क्षेत्र के लिए बैंक की उद्यमिता संवर्धन और कौशल विकास गतिविधियों में योगदान देना, जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय की सुविधा शामिल है। • नियमित बाजार प्रतिक्रिया/अनुसंधान एकत्र करके व्यवसाय-विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख निविष्टियाँ प्रदान करना और विभिन्न नई पहलकदमियों और परियोजनाओं की प्राथमिकता में बैंक की सहायता करने के लिए अपने क्षेत्रों/समूहों में रुझानों के साथ प्रबंधन को अद्यतन करना। • आंतरिक प्रबंध/प्रशासन, नियंत्रण और निगरानी संबंधी कार्यों में प्रतिभागिता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक एमएसएमई क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था की बदलती गतिशील परिस्थितियों के बीच एक अनुकूलन और उत्तरदायी संगठन के रूप में कायम रहे। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (विधि वर्ग)	अधिकारियों के पास बैंक के सभी कानूनी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं, पर ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे; • बैंकिंग क्षेत्र के लिए विशिष्ट बंधक और अन्य संपत्तियों से संबंधित मामलों सहित प्रतिभूतियों पर सुरक्षा ब्याज/प्रभार के सृजन और प्रवर्तन पर कानूनी राय प्रदान करना।

	- डीआरटी आवेदनों, वाणिज्यिक विवाद आवेदनों/पूर्व-संस्थान मध्यस्थता, सिविल वादों, आपत्तियों/जवाबी हलफनामों से संबंधित आदेशों, मुकदमा याचिकाओं, आईबीसी आवेदन/एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष आपत्तियों, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतों, सिडबी के मामलों की रक्षा के लिए अधिवक्ताओं के साथ संपर्क सहित विरोध-पत्र आदि को संभालना। - बैंक के हितों की रक्षा के लिए वसूली मामलों के संबंध में, जहां भी लागू हो, आपराधिक शिकायतों को संभालना और पुलिस स्टेशन/सीबीआई/जांच एजेंसियों आदि के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना। एसएआरएफएईएसआई/डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय के तहत सुरक्षा प्रवर्तन मामलों में विभिन्न अदालती कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण/प्रतिभागिता और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, मध्यस्थता कार्यवाही/जांच एजेंसियों आदि के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत मामलों को सीधे या अधिवक्ताओं के माध्यम से संभालना। - ऋण चूक की वसूली से संबंधित बैंक को भारित परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान का पर्यवेक्षण करना। - नीतिगत मुद्दों पर कानूनी परामर्श देना, सिडबी द्वारा वांछित किसी भी कानूनी मामलों पर समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना। - ऋण सुपुर्दगी में अभिवृद्धि के लिए अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शीर्षक जांच रिपोर्ट (टीआईआर) की जांच और स्वीकार करना - सरफेसी अधिनियम के तहत मांग नोटिस, बिक्री नोटिस, नीलामी दस्तावेज आदि तैयार करना/जारी करना, सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिग्रहण के लिए पंचनामा, इन्वेंट्री आदि बनाना। साथ ही, ऐसे सभी मामले जिनमें सरफेसी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता होती है, को निष्पादित करना। - सरफेसी के तहत प्रत्याभूत आस्तियों का अधिग्रहण, जिसमें सीएमएम/डीएम कार्यालय/तहसीलदार कार्यालय/राजस्व कार्यालय आदि का दौरा करना शामिल है। - सरफेसी अधिनियम के तहत वास्तविक कब्जा लेने में डीएम/सीएमएम की सहायता के लिए दायर किया गया/दायर किए जाने हेतु अपेक्षित धारा 14 का प्रारूपण/पुनरीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई। - आईबीसी मामलों सहित वसूली से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित संदर्भों को संभालना। - जब कभी आवश्यक हो, लेनदार समिति (सीओसी) की बैठकों में भाग लेना। - बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी वर्ग) (कौशल सेट - एआई / एमएल स्वचालन)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दें- - व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझें और एमएल समाधानों के अवसरों की पहचान करें - डेटा मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, सांख्यिकी और विश्लेषण का उपयोग करके डेटा समाधान और अंतर्दृष्टि विकसित करना। - डेटा सटीकता, स्थिरता और तत्संबंधी निष्पादन को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक समस्या के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त एमएल समाधान का

	कार्यान्वयन सुनिश्चित करें • मॉडल प्रदर्शन, विलंब, स्मृति और थ्रूपुट का व्यापक अनुकूलन करें • एआई समाधान डिजाइन और विकसित करें • मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग, वर्गीकरण मॉडल, सांख्यिकीय विधियों और एनएलयू / एनएलपी को प्रयुक्त /लागू करना • मॉडल प्रदर्शन और डेटा सटीकता की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं और उपकरणों का विकास करना। • संबंधित व्यवसाय का विश्लेषण करें और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसाय के भीतर अग्रणी और पिछड़ने वाले संकेतकों के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। • डेटा विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकों का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करें। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी वर्ग) (कौशल सेट - पूर्ण स्टैक अनुप्रयोग विकास)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दें- • जावा और संबंधित ढांचे में जटिल वेब अनुप्रयोगों, सेवाओं, एपीआई को डिजाइन करने की आवश्यकता • आवश्यकता और अनुप्रयोग डिजाइन के आधार पर डेटा मॉडल डिजाइन और बनाने की आवश्यकता • कोडिंग मानकों, रखरखाव, पुन: प्रयोज्यता के लिए कोड की समीक्षा करें और अनुकूलन का सुझाव दें • व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर अनुमान प्रदान करना • आवश्यकता, डिजाइन और कोडिंग चरण में गैर-कार्यात्मक और सुरक्षित कोडिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और उन्हें कार्यान्वित करना • फ्रंट-एंड आवश्यकताओं को समझें और कोणीय और सहायक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों का उपयोग करके फ्रंट-एंड मॉड्यूल के आरंभिक स्तर का डिजाइन और उसका विकास करना • डीबग करने और अनुप्रयोग और सर्वर स्तर के मुद्दों को हल करने की क्षमता। • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी वर्ग) (कौशल सेट - सुरक्षा)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दें- • उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार आईटी सुरक्षा संरचना डिजाइन करें • नियामक और अनुपालन ढांचे के पालन में सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास • संगठन की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा समाधान और उपकरण डिजाइन और कार्यान्वित करें • सुरक्षा जोखिमों की पहचान करने, शमन रणनीतियों/योजना विकसित करने, समाधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए विपरीत-प्रकार्य (क्रॉस-फ़ंक्शनल) के टीमों के साथ सहयोग करें • नियामक आवश्यकताओं और उद्योग मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा ऑडिट आयोजित

	करें • नवीनतम सुरक्षा खतरों, रुझानों और प्रौद्योगिकियों के साथ अपडेट रहें, और संगठन की सुरक्षा मुद्रा का लगातार मूल्यांकन और वृद्धि करें। • गो-लाइव से पहले एप्लिकेशन सुरक्षा नियंत्रणों को मान्य करना। • आरसीए के लिए ऑप्स टीम द्वारा उठाई गई घटनाओं की समीक्षा/जांच, समाधान और समापन • संबंधित प्रौद्योगिकी टीमों/विक्रेताओं के समन्वय से नियमित घटनाओं/घटनाओं का शमन सुनिश्चित करना • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी वर्ग) (कौशल सेट - बुनियादी ढांचा और नेटवर्क)	अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के परिचालन के निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से योगदान दें- • सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग सिस्टम सहित आईटी बुनियादी ढांचे को डिजाइन, कार्यान्वित और बनाए रखना • क्लाउड-आधारित अवसंरचना और सेवाओं को कार्यान्वित और उका प्रबंध करना • आईटी अवसंरचना उन्नयन और माइग्रेशन की योजना बनाएं और कार्यान्वित करें • सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी करें, समस्याओं का निवारण करें, और उच्च उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करें • आईटी नीतियों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित और लागू करना • डेटासेंटर नेटवर्क और नेटवर्क सुरक्षा अवसंरचना को लागू करना और बनाए रखना • एंटरप्राइज़ लैन और वाई-फाई बुनियादी ढांचे का प्रबंध और रखरखाव • सिस्टम डिजाइन, स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन, परीक्षण, उन्नयन और रखरखाव प्रक्रियाओं सहित आईटी बुनियादी ढांचे के लिए प्रलेखन-प्रक्रिया का विकास और रखरखाव • टीम द्वारा एसओपी का पालन, टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और निष्पादन की निगरानी सुनिश्चित करना, और स्वचालन सहित दक्षता के लिए निरंतर प्रक्रियागत सुधार करना • आईटी उपकरणों/सेवाओं का सुरक्षित विन्यास और बैंक द्वारा निर्धारित एसएलए के अनुसार सदोष बिंदुओं के निराकरण को सुनिश्चित करें • सेवा वितरण, एसएलए और निष्पादन प्रबंध के लिए विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ता के साथ समन्वय और निगरानी करें और वितरण, गुणवत्ता या अनुपालन से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करें • संगठन की नीति/प्रक्रियाओं के अनुसार बीसीपी/डीआर ड्रिल का संचालन करें • बैंक द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

6 **चयन प्रक्रिया**

चयन की प्रक्रिया में तीन चरण शामिल होंगे अर्थात चरण I (ऑन-लाइन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें कुल 200 अंकों के सात (7) खंड शामिल हैं), **चरण II** (ऑन-लाइन परीक्षा जिसमें कुल 200 अंकों के दो पेपर शामिल हैं) और चरण III [100 अंकों का साक्षात्कार, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर) में उल्लेखनीय

उपलब्धि के लिए 25% अंक शामिल होंगे। सेवा आदि में पुरस्कार/मान्यता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन]।
सिडबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के आधार पर चरण I परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चरण II परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सिडबी द्वारा तय किए गए न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के आधार पर चरण II परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

बैंक **द्वितीय चरण की परीक्षा** के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, संवाद के स्तर, स्पष्टता और समस्या को सुलझाने की नवोन्मेषिता, दक्षता के स्तर, देश के किसी भी हिस्से में काम करने की इच्छा, पद के लिए उपयुक्तता आदि का आकलन करने के लिए तृतीयक पक्ष एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन साइकोमेट्रिक परीक्षण या कोई अन्य उपयुक्त परीक्षण आयोजित करेगा। उम्मीदवारों के समग्र संदर्श को समझने के लिए परीक्षण के निष्कर्ष को साक्षात्कार पैनल के समक्ष रखा जा सकता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के पूरा होने के बाद, उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो सिडबी के कार्यालय (यों) में संपन्न होगा।

ग्रेड 'ए' (सामान्य स्ट्रीम) में सहायक प्रबंधक और ग्रेड 'बी' (सामान्य एवं विशेष वर्ग) में प्रबंधक के पद के लिए आवेदकों का अंतिम चयन और रैंकिंग **चरण- II परीक्षा और साक्षात्कार** में उनके निष्पादन पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम का पैटर्न निम्नानुसार होगा:

अ. चरण- I परीक्षा (सभी वर्गों /ग्रेड के लिए)

क्रमांक	परीक्षा का नाम	परीक्षा का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय	टिप्पणियां
1	अंग्रेजी भाषा	वस्तुनिष्ठ	30	30	120 मिनट	द्विभाषी अर्थात्, हिंदी और अंग्रेजी (अंग्रेजी भाषा के परीक्षण को छोड़कर)।
2	रीजनिंग एप्टीट्यूड	वस्तुनिष्ठ	25	25		
3	क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड	वस्तुनिष्ठ	25	25		
4	कंप्यूटर ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	20	20		
5	सामान्य जागरूकता (बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के विशेष संदर्भ के साथ)	वस्तुनिष्ठ	20	20		
6	एमएसएमई: नीति, नियामक और कानूनी ढांचा; वित्त और प्रबंधन (एमएसएमई पर ध्यान देने के साथ)।	वस्तुनिष्ठ	30	30		
7	वर्ग-विशिष्ट परीक्षण ##	वस्तुनिष्ठ	50	50		
	कुल		**200**	**200**	**120 मिनट**	

वर्ग-विशिष्ट परीक्षण का विवरण: -

क्रमांक	वर्ग	परीक्षा का नाम	टिप्पणियां
1	सामान्य, (ग्रेड 'ए' और 'बी')	एमएसएमई वित्तपोषण (उचित परिश्रम / केवाईसी, वित्तीय अनुपात, सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी का आकलन, दस्तावेजी ऋण आदि), एनपीए और आईआरएसी मानदंडों सहित वसूली, एनबीएफसी वित्तपोषण, क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन आदि।	पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।
2	विधि (ग्रेड 'बी')	कानून का सामान्य ज्ञान: संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, अनुबंध अधिनियम, 1872, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, पंजीकरण अधिनियम, 1908, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कानूनी प्रारूपण, आरडीबी अधिनियम, 1993, एसएआरएफएईएसआई, 2002, आरटीआई अधिनियम 2005, सीमा अधिनियम, 1963, आईबीसी 2013 आदि।	

3	यह (ग्रेड 'बी')	आईटी क्षेत्र / उद्योग में हाल के विकास सहित डोमेन विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी कौशल मूल्यांकन जिसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्किंग और सुरक्षा, एआई / एमएल, सिस्टम डिजाइन और संरचना आदि शामिल हैं।	

नोट:-

i **अर्हता खंड –** अंग्रेजी भाषा, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर-ज्ञान।

ii **गुणवत्ता खंड -** सामान्य जागरूकता (बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के विशेष संदर्भ के साथ), एमएसएमई: नीति, नियामक और कानूनी ढांचा; वित्त और प्रबंधन (एमएसएमई पर ध्यान देने के साथ) और वर्ग-विशिष्ट परीक्षण।

iii **चरण II परीक्षा** के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग केवल गुणवत्ता खंड में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी।

iv **ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में प्रश्नों की कठिनाई के स्तर में भिन्नता हो सकती है।**

ब. चरण- II परीक्षा

(ए) सहायक प्रबंधक ग्रेड 'ए' (सामान्य वर्ग) और प्रबंधक ग्रेड 'बी' (सामान्य वर्ग) के लिए चरण -II परीक्षा

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
प्रश्नपत्र I	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ और व्यवसाय / कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी प्रश्नपत्र को अभिव्यक्ति और विषय को समझने के साथ ही, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए तैयार किया जाएगा। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वर्णनात्मक - कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर	**3**	**75**	**75 मिनट**
प्रश्नपत्र II	एमएसएमई: नीति, नियामक और कानूनी ढांचा; वित्त एवं प्रबंधन (एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने के साथ), एमएसएमई वित्तपोषण (सम्यक सावधानी	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी)	50#	**75**	**60 मिनट**

	/केवाईसी, वित्तीय अनुपात, सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी का मूल्यांकन, दस्तावेजी ऋण आदि), एनपीए और आईआरएसी मानदंडों, एनबीएफसी वित्तपोषण, ऋण जोखिम मूल्यांकन आदि सहित वसूली। निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इक्विटी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), भारत में एमएसएमई के संवर्धन और विकास से संबंधित प्रश्न। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वर्णनात्मक - अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से उम्मीदवारों से 4 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा [प्रत्येक 15 अंकों में से 2 (कठिन-स्तर के साथ) और प्रत्येक 10 अंकों में से 2]	**50**	**75 मिनट**

<u>#</u> कुछ प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे।

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में प्रश्नों की कठिनाई के स्तर में भिन्नता हो सकती है।

<u>(बी) प्रबंधक ग्रेड 'बी' (विधि) के लिए चरण -II परीक्षा</u>

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
प्रश्नपत्र I	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ और व्यवसाय / कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी प्रश्नपत्र को अभिव्यक्ति और विषय को समझने के साथ ही, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए तैयार किया जाएगा। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वर्णनात्मक	**3**	**75**	**75 मिनट**

प्रश्नपत्र II	कानून का सामान्य ज्ञान: संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, अनुबंध अधिनियम, 1872, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, पंजीकरण अधिनियम, 1908, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कानूनी प्रारूपण, आरडीबी अधिनियम, 1993, एसएआरएफएईएसआई, 2002, आरटीआई अधिनियम 2005, सीमा अधिनियम, 1963, आईबीसी 2013 आदि। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ (द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी)	**50#**	**75**	**60 मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक: अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से उम्मीदवारों से 4 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा [प्रत्येक 15 अंकों में से 2 (कठिन-स्तर के साथ) और प्रत्येक 10 अंकों के 2]	**50**	**75 मिनट**

कुछ प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे

(सी) प्रबंधक ग्रेड 'बी' (आईटी) के लिए चरण -II परीक्षा

प्रश्नपत्र	परीक्षा का नाम	प्रश्नपत्र का स्वरूप	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
प्रश्नपत्र I	अंग्रेजी भाषा निबंध, सार लेखन, समझ और व्यवसाय / कार्यालयीन पत्राचार। अंग्रेजी प्रश्नपत्र को अभिव्यक्ति और विषय को समझने के साथ ही, लेखन कौशल का आकलन करने के लिए तैयार किया जाएगा। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	ऑनलाइन वर्णनात्मक - कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर	**3**	**75**	**75 मिनट**
प्रश्नपत्र II	'सी', 'सी ++', 'जावा' और 'पाइथन' के माध्यम से सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, डेटा संरचना, फाइल संरचना और प्रोग्रामिंग का परिचय, सिस्टम विश्लेषण और डिजाइन के तत्व, संख्यात्मक और सांख्यिकीय कंप्यूटिंग, डेटा संचार और नेटवर्क, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और नेटवर्क आर्किटेक्चर,	ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ @ (द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी)	**50#**	**75**	**60 मिनट**
		ऑनलाइन वर्णनात्मक -	10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से	**50**	**75 मिनट**

	ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, आरडीबीएमएस सहित डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रबंधन सूचना प्रणाली, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मोबाइल एल्गोरिदम की कंप्यूटिंग, डिजाइन और विश्लेषण, एआई, एमएल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का मूल, साइबर/आईटी सुरक्षा, बिग डेटा एनालिटिक्स, डेटा मॉडलिंग और एनालिटिक्स रिपोर्टिंग टूल का उपयोग करके डेटा विज़ुअलाइज़ेशन की अवधारणा, विश्लेषणात्मक क्षमताओं और वर्चुअल डेटा प्रबंधन के साथ डेटा वेयरहाउसिंग, क्रॉस यूज़र इंटरैक्शन और डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआई उपयोग, अनुप्रयोग विकास आदि। नोट: उपरोक्त पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और यह संपूर्ण नहीं है।	अंग्रेजी या हिंदी में कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने वाले उत्तर (रेमिंगटन और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड)	उम्मीदवारों से 4 प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित होगा [प्रत्येक 15 अंकों में से 2 (कठिन-स्तर के साथ) और प्रत्येक 10 अंकों में से 2]		

@ पैराग्राफ आधारित/संख्यात्मक/अनुप्रयोग आधारित व्याख्यात्मक प्रश्न

कुछ प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और कुछ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे

नोट -सभी वर्गों /ग्रेडों के लिए सर्वसामान्य : - पाठ्यक्रम उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है। परीक्षा की तैयारी करते समय पाठ्यक्रम को सूचना का एकमात्र स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विषय के दायरे में आने वाले सभी पक्षों का उम्मीदवार द्वारा अध्ययन किया जाना होगा क्योंकि विषय के तहत सभी प्रासंगिक मामलों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए जो विषय (विषयों) के तहत होने वाले वर्तमान/नवीनतम विकास/अधिनियमों पर पूछे जा सकते हैं, तथापि ऐसे विषयों को विशेष रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया हो सकता है।

सभी परीक्षण (अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी वर्णनात्मक परीक्षा के अतिरिक्त) अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रदान किए जाएंगे।

सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहु विकल्पी होंगे। पांच उत्तरों में से, एक प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होगा। उम्मीदवार को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा और उस विकल्प को 'माउस क्लिक' करना होगा जो आपको उचित / सही लगता है। उम्मीदवार ने जिस विकल्प/विकल्प पर क्लिक किया है, उसे उस प्रश्न के उत्तर के रूप में माना जाएगा। वस्तुनिष्ठ स्वरूप की परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दंड का प्रावधान होगा। उम्मीदवार द्वारा चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/4 दंड स्वरूप काटा जाएगा।

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त किए जाएंगे:

(i) प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या पर गलत उत्तरों के लिए दंड लगाने के बाद सही अंक प्राप्त करने के लिए विचार किया जाएगा।

(ii) किसी अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए सही अंकों को समतुल्य बनाया जाता है, ताकि समान प्राप्तांकों* पर पहुंचने के लिए विभिन्न सत्रों (यदि आवश्यक हो तो) में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिन-स्तर, यदि कोई हो तो, में मामूली अंतर का ध्यान रखा जा सके।

(* किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी रूपों के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार स्तर के बराबर किया जाता है।

(iii) परीक्षा-वार स्कोर और कुल स्कोर दो अंकों तक दशमलव अंकों के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं।

नोट: कटऑफ दो चरणों में लागू किया जा सकता है:

(i) व्यक्तिगत परीक्षणों में स्कोर पर

(ii) कुल अंक पर (योग्यता/योग्यता के लिए अलग से)

- चरण I (अनुभागीय और कुल) और चरण- II (कुल) में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कट-ऑफ अभ्यर्थियों द्वारा बनाए गए अंकों के मध्यमान /मानक विचलन/समूह मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

- प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षण, कुल वस्तुनिष्ठ परीक्षा और वर्णनात्मक परीक्षा में विभिन्न योग्यता कट ऑफ अंक सिडबी द्वारा तय किए जाएंगे। ऑनलाइन वर्णनात्मक परीक्षा के प्रश्न आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उत्तर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किए जाने हैं। ऑनलाइन वर्णनात्मक टेस्ट में प्रश्नों के उत्तर टाइप करने से पहले कृपया कीबोर्ड के सभी प्रमुख प्रकार्यों की जांच कर लें।

- चूंकि रिक्तियां ग्रेड /वर्ग-वार निर्धारित की गई हैं, इसलिए प्रत्येक चरण के लिए उम्मीदवारों की योग्यता सूची ग्रेड /वर्ग-वार तैयार की जाएगी।

- उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक असेसमेंट/इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए प्रत्येक परीक्षा /खंड में न्यूनतम स्कोर प्राप्त करना होगा और फेज II परीक्षा में न्यूनतम कुल स्कोर भी प्राप्त करना होगा। उम्मीदवारों को रिक्तियों की संख्या, प्रत्येक परीक्षा में कट-ऑफ और बैंक द्वारा तय किए गए चरण II परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

- साक्षात्कार 100 अंकों के लिए सभी पद / ग्रेड के लिए आयोजित किया जाएगा, [जिसमें पाठ्येतर गतिविधियों (जिला / राज्य / राष्ट्रीय स्तर) में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 25% अंक शामिल होंगे, पुरस्कार / सेवा में मान्यता आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन]। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में साक्षात्कार का विकल्प चुन सकते हैं। बैंक को अपने विवेकाधिकार से साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करने का अधिकार होगा।

- दूसरे चरण की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए कॉलिंग रेशियो अधिकतम 1:25 होगा। बैंक के विवेकाधिकार पर अनुपात को उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। सिडबी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले और पर्याप्त रूप से उच्च स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चरण- II परीक्षा और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा चिह्नित गलत उत्तरों के लिए दंड होगा।

- ऑनलाइन परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में चिह्नित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से 1/4 को चरण -1 और चरण -2 दोनों में दंड स्वरूप के रूप में काटा जाएगा।

- केवल ऐसे उम्मीदवार जो चरण -2 परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंक या उससे अधिक स्कोर करते हैं , तो उन्हें साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

- समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, उनकी रैंकिंग निम्नानुसार तय की जाएगी:

  (I) सभी /कुल (चरण II परीक्षा और साक्षात्कार एक साथ लिया गया) में समान अंक रखने वाले उम्मीदवारों में, चरण II परीक्षा में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।

  (ii) चरण II परीक्षा में समान अंक रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में, आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।
  (iii) आगे टाई-अप के मामले में, उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार या समान योग्यता के मामले में, स्नातक स्तर की पढ़ाई में उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रैंक दिया जाएगा।

नोट: ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अन्य आवेदकों की मदद लेने वाले आवेदकों की संभावना को दूर करने की दृष्टि से बैंक सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने हेतु अन्य उपस्थित आवेदकों के साथ चरण- II परीक्षा में आवेदकों के उत्तरों का विश्लेषण करेगा। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, यदि यह संदेह होता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो बैंक को संदिग्ध आवेदकों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार होगा। इसलिए आवेदकों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में किसी भी अनुचित अभ्यास में शामिल न हों।

सिडबी को परीक्षा की संरचना को संशोधित करने का अधिकार होगा, जिसे इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा के बारे में अन्य विस्तृत जानकारी एक सूचना हैंडआउट में दी जाएगी, जिसे उम्मीदवारों को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से कॉल लेटर के साथ डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

7. भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण (पीआरटी) आयोजित की जाएगी। तदनुसार, पीआरटी इच्छुक एससी / एसटी / ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जिनके आवेदन सिडबी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं। पीआरटी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि प्रशिक्षण प्राप्त करने से उम्मीदवार को परीक्षा के लिए या सिडबी की सेवा में भर्ती के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
कृपया यह भी ध्यान दें कि, केवल पीआरटी में भाग लेने से मात्र से किसी भी उम्मीदवार को सिडबी में चयनित होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

8. ऑनलाइन परीक्षा:

ऑनलाइन परीक्षा (**चरण I / चरण II**) पूरे भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की अस्थायी सूची **परिशिष्ट III** में उपलब्ध है।

- **(i)** उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपने पसंद के केंद्र का उल्लेख करना होगा।
- **(ii)** परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में निर्दिष्ट स्थानों में ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कृपया परीक्षा के लिए अपने केंद्र की जांच करें क्योंकि कार्यालयीन सुविधा के कारण इसमें परिवर्तन किया गया होगा।
- **(iii)** परीक्षा के लिए केंद्र / स्थान / तिथि / सत्र के परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- **(iv)** सिडबी के पास प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार होगा।
- **(v)** सिडबी को उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी भी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार होगा।
- **(vi)** उम्मीदवार अपने स्वयं के जोखिम और व्यय पर किसी परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होगा और सिडबी किसी भी प्रकृति की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- **(vii)** उम्मीदवार द्वारा एक बार संकेत किए जाने के बाद केंद्र का चुनाव अंतिम होगा।

यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो सिडबी को उन उम्मीदवारों को किसी अन्य निकटवर्ती केंद्र को आवंटित करने का अधिकार होगा या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, तो सिडबी को उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र को आवंटित करने का अधिकार होगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में स्कोर को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरी के कठिनाई के स्तर में मामूली अंतर के समायोजन हेतु करने के लिए बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी भी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो, एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

9. कॉल लेटर/दस्तावेज/परीक्षा केंद्र आदि से संबंधित दिशानिर्देश :

जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन चरण II परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें बाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 5 केंद्रों अर्थात **चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली** में आयोजित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में साक्षात्कार के लिए अपने पसंदीदा केंद्र को अलग से इंगित करना होगा। तथापि, सिडबी को प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक पर किसी भी परीक्षा/साक्षात्कार केंद्र को निरस्त करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार होगा। सिडबी को

उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी भी केंद्र को आवंटित करने का अधिकार होगा।

(i) शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा (एस) / साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) के स्थान की समय, तारीख और पते के बारे में विवरण कॉल लेटर, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। कॉल लेटर के ऑनलाइन डाउनलोड किए जाने की सूचना उचित समय पर उम्मीदवारों को भेजी जाएगी। उम्मीद्वारों को सिडबी की वेबसाइट www.sidbi.in से अपनी ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) का कॉल लेटर डाउनलोड करना आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को डाक द्वारा या अन्यथा कोई अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में अन्य निर्देश, यदि कोई हों तो, उन्हें भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कॉल लेटर के बिना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा (ओं) / साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन परीक्षा की तारीख के बारे में जानकारी के लिए नियमित अंतराल पर सिडबी की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

(ii) साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के केंद्र, स्थान का पता, समय और ऑनलाइन परीक्षा (ओं) / साक्षात्कार की तारीख (जैसा भी लागू हो) को कॉल लेटर में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) की तिथि, केंद्र आदि में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, सिडबी को अप्रत्याशित परिस्थितियों, यदि कोई हो तो, के तहत ऑनलाइन परीक्षा(परीक्षाओं)/साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) की तारीख/स्थान/समय/केंद्र आदि को बदलने या किसी विशेष तिथि/सत्र/स्थल/केंद्र/उम्मीदवारों के सेट के लिए पूरक प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार होगा।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा (ओं) / साक्षात्कार (जैसा भी लागू हो) के लिए उपस्थित होने के दौरान, उम्मीदवार को नीचे दिए गए वैध निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए। दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। सिडबी अलग से भेजे गए किसी भी प्रमाण पत्र / प्रेषण / दस्तावेज को प्राप्त करने/जोड़ने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (जैसा भी लागू हो)

उम्मीदवार की पात्रता और पहचान के समर्थन में मूल और सत्यापित फोटोकॉपी में निम्नलिखित दस्तावेज साक्षात्कार के समय निरपवाद रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसमें विफल होने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर उसकी उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया में आगे की भागीदारी से रोक दिया जाएगा।

(क) वैध साक्षात्कार बुलावा पत्र का प्रिंटआउट।

(ख) वैध प्रणाली द्वारा उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट।

(ग) विधिवत प्रमाणित परीक्षा कॉल पत्र (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ)। उम्मीदवार जो साक्षात्कार के समय परीक्षा के प्रमाणित/मुहर सहित कॉल लेटर और आईडी प्रूफ की प्रमाणित/ मुहर सहित फोटोकॉपी नहीं लाते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) जन्म तिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के साथ एसएसएलसी / कक्षा X प्रमाण पत्र)।

(च) फोटो पहचान प्रमाण जैसा कि **क्रम संख्या 9 (ix) में दर्शाया गया है।**

(छ) क्रम संख्या **9 (x) में प्रतिदर्शित स्थायी पते का प्रमाण।**

(ज) स्नातक या समकक्ष योग्यता आदि के लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र। **02 दिसंबर, 2024 को या उससे पूर्व घोषित परिणाम** के लिए बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी उचित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

(झ)अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।

(त) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक शर्त होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर सेक्शन से नहीं है, जिसके तहत भारत सरकार के सिविल पोस्ट और सेवाओं के (व्यक्तियों को) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर रखा गया है। गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज वाले अन्य पिछड़ा वर्ग जाति वाले उम्मीदवार को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उनका संबन्धित प्रमाण

पत्र साक्षात्कार की तारीख को वैध होना चाहिए (यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष पहले जारी किया गया हो)। प्रमाण पत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के वे उम्मीदवार, जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं और / या यदि उनकी जाति को केंद्रीय सूची में दर्शाया नहीं गया है, तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के पात्र नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदनपत्र में अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी चाहिए।

(थ) विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्मेट में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऑनलाइन परीक्षा के समय लेखनकर्ता की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित फार्मेट में लेखनकर्ता का विवरण विधिवत भरा जाएगा।

(द) ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्मेट में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

(ध) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश और अंतिम / वर्तमान में धारित रैंक (मूल और साथ ही कार्यवाहक) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या कार्यमुक्त पुस्तिका की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें एक सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उन्हें **02 दिसंबर, 2025** को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।

(न) सरकारी / अर्द्ध सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित) में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। सिडबी में चयन के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। साक्षात्कार के समय सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी / आगे चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(प) **4.3(v)** के तहत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे सरकार द्वारा स्वीकृत और दिनांक 27-07-2007 के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग संचार के फा सं एफ सं 9/21/2006-आईआर 1984 द्वारा संसूचित दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के लिए पात्र हैं।

(फ) **अनुभव प्रमाण पत्र, यदि लागू हो: -** पिछले और / या वर्तमान नियोक्ताओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र / कार्यमुक्ति पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र सह कार्यमुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से पिछले रोजगार (रों) में से प्रत्येक के कार्यग्रहण करने की तारीख और कार्यमुक्त होने की तारीख का उल्लेख हो। यदि अनुभव प्रमाण पत्र या कार्यमुक्ति पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो एक प्रामाणिक अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी है, जिसमें उम्मीदवार के अनुभव के साथ-साथ सटीक तिथियों सहित अवधि का उल्लेख होना चाहिए। नियोक्ता का पूरा नाम, पूरा पता और टेलीफोन नंबर, धारित पदनाम के साथ विभाग का नाम टेलीफोन, किए गए कार्य एवं उन की प्रकृति / जॉब प्रोफाइल आदि का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। पिछले नियोक्ता (ओं) से कोई प्रतिकूल टिप्पणी या उम्मीदवार द्वारा किया गया कदाचार / गलत कार्य आवेदन करने के लिए अनर्हता होगी और इससे उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी । **आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को परिशिष्ट -IV में संलग्न फार्मेट के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो, तो वर्तमान और पिछले नियोक्ताओं से) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।**

(ब)मद संख्या 4.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

(भ) पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

नोट: उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं और इसके अलावा प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज न होने पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी यात्रा किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार से पहले या बाद में सिडबी/आईबीपीएस को सीधे कोई दस्तावेज नहीं भेजा जाएगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों

को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार है (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है):

(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए: (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से कनिष्ठ अधिकारी नहीं)/तालुक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) तहसीलदार के पद से कनिष्ठ राजस्व अधिकारी नहीं (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी जांच समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिनांक 08 सितंबर, 1993 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) तहत द्वारा तथा समय-समय पर यथा संशोधितअनुसार लागू होगा । क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य (जनरल)' के रूप में इंगित करनी चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (वित्त) 2023-2024, 2022-2023 और 2021-2022 की आय के आधार पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसे 01 अप्रैल, 2024 (वित्त वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद) को/उसके बाद जारी किया जाना चाहिए, लेकिन यह पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहींहोना चाहिए । आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास पदों के आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात ***02 दिसंबर, 2024*** *को /उससे पहले अपने दावे के समर्थन में निर्धारित फार्मेट में आवश्यक अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र होना चाहिए।*

नोट: अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल जातियों / उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति/उप-जाति जो संबंधित राज्य सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं है, को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

(vi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग:(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त, (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट, (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से कनिष्ठ न हो और (iv) उप-विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए भर्ती में आरक्षण दिनांक 31 जनवरी, 2019 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) द्वारा अभिशासित है । अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार द्वारा इसके बाद जारी किए गए निर्देशों और किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है और उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किए जा रहे आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय और संपत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा सकता है और यह प्रमाणपत्र वर्ष 2024-25 के लिए वैध हो। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास अपने दावे के समर्थन में पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 02 दिसंबर, 2024 को/उससे पहले निर्धारित फार्मेट में अपेक्षित आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(vii) बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए: जिला स्तर पर प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी और एक आर्थोपेडिक / नेत्र / कान, नाक एवं गला (ईएनटी) सर्जन या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाणन प्राधिकारी के रूप में नामित कोई व्यक्ति शामिल होगा।

(viii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ix) पहचान प्रमाण: परीक्षा के समय (पृष्ठ 41 के 20-21 के साथ पढ़ा जाए) परीक्षा हॉल में, उम्मीदवार की हाल की वैध फोटो पहचान पत्र (कॉल लेटर पर अंकित नाम के समान नाम वाले) जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / राजपत्रित अधिकारी / जन प्रतिनिधि द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाण / किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र / आधार कार्ड /फोटो के साथ ई-आधार कार्ड /कर्मचारी आईडी/फोटोग्राफ सहित बार काउंसिल पहचान पत्र की मूलप्रति और उसकी एक फोटोप्रति सहित कॉल लेटर सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान को कॉल लेटर पर दिए गए उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहपूर्ण है तो उम्मीदवार को परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

1. राशन कार्ड और प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस को इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना की मूलप्रति /अपने विवाह प्रमाण पत्र की मूलप्रति /शपथ पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत करेंगे।

(x) स्थायी पते का प्रमाण (केवल साक्षात्कार के समय अपेक्षित है): (i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरणी (iii) किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण से पत्र (iv) बिजली बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (सिडबी की संतुष्टि के अधीन) (vii) राज्य सरकार या इसी तरह के पंजीकरण प्राधिकरण के साथ विधिवत पंजीकृत उम्मीदवार के पते का उल्लेख कराते हुए एक किराया समझौता। (सिडबी की संतुष्टि अनुसार जानकारी प्रदान करने वाला कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त होगा)। जबकि आईडी प्रूफ में स्थायी पता भी होता है, स्थायी पते के लिए अलग से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

नोट: उम्मीदवारों को, ऑनलाइन आवेदन पत्र / कॉल लेटर पर लिखे गए (अंकित) नाम के समान लिखे नाम वाला फोटो पहचान प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी और परीक्षा में भाग लेने के दौरान क्रमश: परीक्षा कॉल लेटर और साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ फोटो पहचान प्रमाण की फोटोप्रति जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा / साक्षात्कार देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर:

- ✓ ऑनलाइन परीक्षा के बुलावा पत्र (आईडी प्रूफ की प्रमाणित प्रति के साथ) को परीक्षा स्थल पर जमा किया जाना आवश्यक है।
- ✓ इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लेखनकर्ता फॉर्म (जहां भी लागू हो) भी एकत्र किया जाएगा।
- ✓ उम्मीदवारों को "सूचना हैंडआउट" और कॉल लेटर में दी गई जानकारी के अनुसार कॉल लेटर और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त फोटो (कॉल लेटर पर उम्मीदवार द्वारा चिपकाया हुए फोटो की समान प्रति) लाने की आवश्यकता है।
- ✓ कॉल लेटर पर फोटोग्राफ चिपकाए बिना या एक अतिरिक्त फोटोग्राफ (कॉल लेटर पर चिपकाए गए की फोटो की समान प्रति) के बिना रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  (*यह परामर्श किया जाता है कि उम्मीदवार उसी फोटोग्राफ की लगभग 8 प्रतियां रख लें जो आवेदन के समय अपलोड की गई हैं क्योंकि इस चयन प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए इनकी आवश्यकता होगी।*)
- ✓ उम्मीदवार द्वारा परीक्षा स्थल से जाते समय लैब/परीक्षा स्थल के बाहर दिए गए बक्से में रफ शीट को डाल देना चाहिए। विशिष्ट निर्देश परीक्षा स्थल पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

(xi) परीक्षा पश्चात नियंत्रण

परीक्षा की समाप्ति होने पर, उम्मीदवारों को स्थल के कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे निर्देश के अनुसार, वहाँ पर भीड़ किए बिना, व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए।

(परीक्षा की निर्धारित तिथि के दौरान परीक्षा से संबंधित कुछ और निर्देश स्थिति के आधार पर जोड़े या आशोधित किए जा सकते हैं)

10. गैर-वापसी योग्य आवेदन सह संसाधन शुल्क [लागू जीएसटी सहित]:

उम्मीदवार की श्रेणी	आवेदन शुल्क (रु में)	सूचना शुल्क (रु.में)	कुल शुल्क (रु. में)
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी	शून्य	रु175/- (रुपये एक सौ पचहत्तर केवल)	रु175/- (रुपये एक सौ पचहत्तर केवल)
अन्य (अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस और सामान्य उम्मीदवारों सहित)	रु925/-(केवल नौ सौ पच्चीस रुपये केवल)	रु175/- (रुपये एक सौ पचहत्तर केवल)	रु1100/- (रुपये एक हजार और एक सौ केवल)
स्टाफ उम्मीदवार	शून्य	शून्य	शून्य

11. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार केवल सिडबी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(i) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएं

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को चाहिए: –

(१) उनका स्कैन करें:

- ✓ **फोटोग्राफ (4.5 सेमी* 3.5 सेमी)**
- ✓ **हस्ताक्षर (काली स्याही से)**
- ✓ **बाएं अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से)**
- ✓ **हाथ से लिखा गया घोषणापत्र (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से) (पाठ नीचे दिया गया है) यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिए गए आवश्यक दिशानिर्देशों के अपेक्षित विनिर्देशों का पालन करते हैं।**

(२) अग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(३) **बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धब्बा नहीं लगाया जाना चाहिए।** (यदि किसी उम्मीदवार का बाया अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।)

(४) हाथ से लिखी गई घोषणा का पाठ इस प्रकार है –

"मैं, ______ (उम्मीदवार का नाम), एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में मैंने सभी सही, सच्ची और मान्य जानकारी प्रस्तुत की है। जब भी आवश्यकता होगी, मैं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा।"

(५) **उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार की लिखावट में और केवल अंग्रेजी में होना चाहिए। यदि यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अमान्य कर दिया जाएगा। (**दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा का पाठ टाइप करवा सकते हैं और टाइप की गई घोषणा के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।

(६) अपेक्षित आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क का **ऑनलाइन भुगतान** करने के लिए आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।

(७) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी रखें, जिसे कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। सिडबी पीआरटी/ऑन-लाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना केवल इस ई-मेल आईडी पर ही भेजेगा। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार किसी अन्य व्यक्ति की

ईमेल आईडी साझा करेगा / उल्लेख करेगा। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ई-मेल आईडी बनानी चाहिए और उस ईमेल खाते को बनाए रखना चाहिए।

(ii) ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

अ. आवेदन की प्रक्रिया

1. उम्मीदवार सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in -** पर जाएं और **"ऑनलाइन आवेदन करें"** विकल्प पर क्लिक करें जो एक नई स्क्रीन खोलेगा।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, **"नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें"** टैब चुनें, और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उल्लेख करते हुए एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जाएगा।
3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदनपत्र पूरा भरने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब चुनकर पहले से दर्ज किए गए डेटा को सेव कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदनपत्र में विवरणों को सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो इसे आशोधित करें। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और विवरणों को सत्यापित करना / करवाना चाहिए ताकि अंतिम सबमिशन से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सही है।
4. **उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन में विवरणों को सावधानीपूर्वक भरें और स्वयं सत्यापित करें क्योंकि "पूर्ण पंजीकरण" बटन पर क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।**
5. आवेदनपत्र में उम्मीदवार या उसके पिता / पति आदि के नाम की स्पेलिंग सही लिखी जानी चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र / मार्क शीट(अंकतालिका) / पहचान प्रमाण में लिखा हुआ है। यदि कोई भी परिवर्तन/बदलाव पाया जाता है, तो वह उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. अपने विवरण को वैध करें और अपने विवरण को वैध करें' पर क्लिक करके उसे सेव करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
7. उम्मीदवार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए बिंदु "सी" के तहत फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के विनिर्देशों के अनुसार आगे जा सकते हैं,
8. उम्मीदवार आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे जा सकते हैं।
9. **"पूर्ण पंजीकरण"** से पहले पूरे आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन और सत्यापन करने के लिए पूर्वावलोकन टैब पर क्लिक करें।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण आशोधित करें, और सत्यापित करने और सुनिश्चित करने के बाद ही **'पूर्ण पंजीकरण' पर** क्लिक करें कि आपके द्वारा अपलोड की गई फोटो, हस्ताक्षर और अन्य विवरण सही है ।
11. 'भुगतान' टैब पर क्लिक करें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।
12. सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

आ. फीस का भुगतान

ऑनलाइन मोड

एक. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

दो. स्क्रीन पर पूछे गए अनुसार जानकारी प्रदान करके डेबिट कार्ड (रुपे/वीजा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके भुगतान किया जा सकता है।

तीन. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी सबमिट करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें। दोबार भुगतान करने से बचाव के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं।

चार. संव्यवहार के सफल समापन पर, एक ई-रसीद जनरेट होगी।

पाँच. 'ई-रसीद' का जनरेट न होना भुगतान विफलता को दर्शाता है। भुगतान की विफलता पर, उम्मीदवारों को परामर्श किया जाता है कि वे अपने अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग

करके फिर से लॉगिन करें और भुगतान की प्रक्रिया को दोहराएं।

छः. उम्मीदवारों को **ई-रसीद और** ऑनलाइन आवेदन पत्र का **प्रिंटआउट** लेना आवश्यक है। **कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं हुआ है, तो ऑनलाइन संव्यवहार सफल नहीं हुआ है।**

नोट :

(१) ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी सबमिट करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें, दो बार भुगतान करने से बचाव के लिए बैक या रिफ्रेश बटन न दबाएं

(२) क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए: सभी कीमतें भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगा।

(३) अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना संव्यवहार पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।

(i) एकाधिक पंजीकरण के मामले में, केवल अंतिम पंजीकरण को वैध रखा जाएगा।

(ii) शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उम्मीदवार को सिस्टम से जनरेट किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करें कि भरे गए विवरण सही हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे रखें। उन्हें यह प्रिंटआउट सिडबी को नहीं भेजना चाहिए।

(iii) आवेदन के सफल पंजीकरण पर उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर जनरेट हुआ पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ एक ईमेल / एसएमएस सूचना सिस्टम से जनरेट किए गए पावती के रूप में भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवारों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर पर ईमेल और एसएमएस सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे विचार कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं हुआ है।

iv) ऑनलाइन आवेदन को सही ढंग से भरने की पूरी जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों के कारण अमान्य आवेदनों के मामले में, एकत्र किए गए आवेदनपत्र की धनराशि को वापस करने संबंधी किसी दावे को सिडबी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v) दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और सत्यापित करना चाहिए और अंतिम सबमिशन से पहले विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करवानी चाहिए ।

अंतिम मिनट की दौड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने और ऑनलाइन पंजीकरण जल्द से जल्द करने की सलाह दी जाती है।

नोट - शुल्क भुगतान के पश्चात शुल्क विवरण सहित प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्र को पुन:मुद्रित करने का भी प्रावधान है।

कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, श्रेणी, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद कोई परिवर्तन / आशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के लिए किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में आवेदन में हुई चूक या गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए सिडबी जिम्मेदार नहीं होगा।

(vi) किसी भी प्रकार से अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन -जैसे ऑनलाइन आवेदनपत्र में बिना फोटो और हस्ताक्षर के अपलोड किया गया आवेदन / असफल शुल्क भुगतान को वैध नहीं माना जाएगा।

(vii) उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि इंटरनेट / वेबसाइट जाम पर भारी भार के कारण सिडबी की वेबसाइट के डिस्कनेक्शन / अक्षमता / लॉगऑन करने में विफलता की संभावना से बचाव किया जा सके।

(viii) उपर्युक्त कारणों से या सिडबी के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए सिडबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

(ix) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया आवेदन करने के लिए एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरा कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा

(x) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी उम्मीदवार पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी और यदि उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण बाद में गलत पाई जाती है तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

(xi) पते में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध, या ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित किसी अन्य विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। एक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में उसके कॉल लेटर, उपस्थिति पत्रक और सिडबी के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में उसके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

(viii) उम्मीदवार द्वारा एक हाल का, पहचानने योग्य फोटो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किया जाना चाहिए और उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपयोग के लिए उसी की प्रतियां रखी जाएँ । उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया पूरी होने तक वे अपना हुलिया न बदलें। प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में समान फोटो उपलब्ध करने में विफलता, किसी भी स्तर पर पहचान के बारे में संदेह अयोग्यता का कारण बन सकती है।

इ. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन (डिजिटल) छवि की आवश्यकता होगी।

(1) फोटोग्राफ छवि: (4.5 सेमी * 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्र हल्के रंग के, अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि के सामने लिया गया हो ।
- शांत चेहरे के साथ सीधे कैमरे को देखें।
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो सूर्य आपके पीछे रहे , या आप स्वयं को छाया में रखें, ताकि आपकी दृष्टि तिरछी न लगे और सीधी धूप से फोटो अस्पष्ट एवं धूधली न हो।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि "लाल-आंख" नहीं है।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं हैं, और आपकी आंखें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है।
- धार्मिक हेडवियर की अनुमति है लेकिन यह आपके चेहरे को कवर नहीं करना चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (प्राथमिकता) | .
- फ़ाइल का आकार 20kb -50 kb के बीच होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 50kb से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान रंगों की सं. स्कैनर की सेटिंग्स जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन समायोजित करें।

(2) हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा की छवि:

- ✓ आवेदक को काली स्याही वाले पेन से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना होगा
- ✓ डाइमेंशन: 140 x 60 पिक्सल (प्राथमिकता)
- ✓ हस्ताक्षर के लिए फ़ाइल का आकार 10kb - 20kb और बाएँ अंगूठे के निशान के लिए 20kb - 50kb के बीच होना चाहिए।
  सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई छवि का आकार 20kb से अधिक नहीं है
- ✓ आवेदक को एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से अपने बाएं अंगूठे का निशान लगानी होगी।
- ✓ फाइल का प्रकार: jpg/jpeg
- ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए प्राथमिकता) अर्थात3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
- ✓ फाइल का आकार: 20 केबी - 50 केबी
- ✓ आवेदक को एक सफेद कागज पर काली स्याही से अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से घोषणा पत्र लिखना होगा।
- ✓ फाइल का प्रकार: jpg/jpeg
- ✓ आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए प्राथमिकता) अर्थात10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
- ✓ फाइल का आकार 500 केबी * 100 केबी
- ✓ हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और उनके हाथ से लिखित घोषणा आवेदक का होनी चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ✓ यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।.

✓ हस्ताक्षर / हाथ से लिखित घोषणा अग्रेजी के बड़े अक्षरों में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(3) दस्तावेजों को स्कैन करना:

- स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को वास्तविक रंग पर सेट करें
- फ़ाइल का आकार जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है
- स्कैनर में इमेज को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे की छाप/हाथ से लिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर इमेज को फाइनल आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड इडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट है)।
- इमेज फ़ाइल JPG या JPEG फार्मेट में होनी चाहिए। एक उदाहरण फ़ाइल का नाम है: image01.jpg या image01.jpeg इमेज आयामों को फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या इमेज फ़ाइल आइकन पर माउस घुमाकर जांचा जा सकता है।
- एमएस विंडोज / एमएसऑफिस का उपयोग करने वाले उम्मीदवार एमएस पेंट या एमएसऑफिस / पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके आसानी से .jpeg फार्मेट दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। स्कैन किए गए दस्तावेज़ को फ़ाइल मेनू में 'इस रूप में सेव करें' विकल्प का उपयोग करके .jpg/.jpeg फार्मेट सेवा किया जा सकता है। क्राप का उपयोग करके और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फोटो संपादक में भी उपलब्ध हैं।
- यदि फ़ाइल का आकार और फार्मेट निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटोग्राफ / हस्ताक्षर अपलोड करें / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें"
- ब्राउज़ करें और उस स्थान का चयन करें जहां स्कैन की गई तस्वीर / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा फ़ाइल सहेजी (सेव की) गई है।
- उस पर क्लिक करके फ़ाइल का चयन करें
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें।
- यदि फ़ाइल का आकार और फार्मेट निर्धारित नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोड की गई इमेज का पूर्वावलोकन इमेज की गुणवत्ता देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए फिर से अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और निर्दिष्ट रूप से हस्तलिखित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे ।

नोट:- Note:-

1. **यदि तस्वीर में चेहरा, या हस्ताक्षर अस्पष्ट / धुंधला है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।**
2. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा पत्र अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि इमेजेस स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहें हैं, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को सबमिट करने से पहले अपनी तस्वीर या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे के निशान या हाथ से लिखित घोषणा को ठीक कर बदल सकते हैं और फॉर्म जमा करने से पहले फिर से अपलोड कर सकते हैं।**
3. **उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किया गया है। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
4. **उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की**

है और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

5. यदि परीक्षा के लिए फोटो प्रवेश के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया गया है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया गया हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ।
7. ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन आवेदन पत्रों का प्रिंटआउट ले लें ।

*****

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रधान कार्यालय: सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

ग्रेड 'ए' और ग्रेड 'बी' में अधिकारियों के पद पर भर्ती –

सामान्य और विशेषज्ञ संवर्ग : 2024

सामान्य निर्देश

[कृपया आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने से पहले ध्यान से पढ़ें]

1 आवेदनपत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वे उसके लिए लागू अनुसार आयु, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव आदि के संबंध में यथा **08 नवंबर, 2024 को और 02 दिसंबर, 2024** को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, और आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण हर प्रकार से सही हैं।

2 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किए जाने, पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में संतोषजनक रिपोर्ट, उनके पिछले नियोक्ता और रेफरी से संतोषजनक रिपोर्ट, जाति / जनजाति और वर्ग प्रमाण पत्र का सत्यापन और अन्य सभी भर्ती पूर्व औपचारिकताओं को सिडबी की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार पूरा करने के अधीन होंगी। इसके अलावा, ऐसी नियुक्ति सिडबी के सेवा और आचरण नियमों के अधीन भी होगी।

3 ऑनलाइन आवेदनपत्र और अन्य किसी दस्तावेज (मूल या उसकी प्रति) का प्रिंटआउट सिडबी के किसी कार्यालय/शाखा को नहीं भेजा जाना चाहिए।

4 उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी ऐसे विवरण या जानकारी को प्रस्तुत न करें जो झूठी, मिथ्या अर्थ वाली / मनगढ़ंत है या किसी भी आवश्यक जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चला है कि कोई उम्मीदवार आवेदन किए गए पद के लिए किसी भी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और / या उसने कोई गलत जानकारी दी है या किसी भी आवश्यक तथ्य (तथ्यों) को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि नियुक्ति के बाद भी इनमें से किसी भी कमी का पता चलता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

5 सभी शैक्षणिक योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से इस विज्ञापन में दर्शाए अनुसार आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले प्राप्त की जानी चाहिए। यदि अंकों के बजाय ग्रेड प्रदान किए जा रहें हैं और यदि इसे अंक पत्र में इंगित नहीं किया गया है, तो उम्मीदवारों को ग्रेड से संख्यात्मक मान में रूपांतरण चार्ट की एक प्रति संलग्न करनी चाहिए, तथा इसे विभागाध्यक्ष/संस्थान द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो,

6 भर्ती से संबंधित सभी मामलों में अर्थात उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता की ऐसी जांच के चरण, साक्षात्कार/चयन आदि के आयोजन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और किसी अन्य मामले में सिडबी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा। **इस संबंध में सिडबी द्वारा किसी भी पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।**

7 सिडबी के पास रिक्तियों की संख्या के अनुरूप साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानक को बढ़ाने/छूट देने आदि के अधिकार सुरक्षित है। **इस संबंध में अलग से कोई पत्र/अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी।**

8 आवेदन करने की पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाले उम्मीदवार के अनुरोधों पर सिडबी विचार नहीं करेगा।

9 बैंक उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया की मार्कशीट (अंकतालिका) प्रस्तुत नहीं करता है। चरण I (ऑनलाइन परीक्षा), चरण II परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बैंक की वेबसाइट पर एक इंटरैक्टिव मोड में उपलब्ध कराए जाएंगे।

10 एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए

आवेदन सह संसाधन शुल्क / डाक शुल्क किसी भी स्थिति में वापस **नहीं किए** जाएंगे और न ही भविष्य की किसी भी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

11 'ऑनलाइन' कॉल लेटर पर चिपकाई गई हाल ही के पासपोर्ट आकार, के रंगीन फोटोग्राफ (काले चश्मे के बिना) की पर्याप्त प्रतियों, को बाद की भर्ती औपचारिकताओं के लिए रखा जाना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक अपना हुलिया न बदलें। बाद में समान फोटो प्रस्तुत करने में विफलता अयोग्यता का कारण बन सकती है।

12 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में, भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 08 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी), के माध्यम से जारी एवं समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार अभिशासित होंगे। क्रीमी लेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी 'सामान्य (जनरल)' के रूप में इंगित करनी चाहिए। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (FY) 2023-2024, 2022-2023 और 2021-2022 की आय के आधार पर ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और 01 अप्रैल, 2024 (वित्त वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद) को/उसके बाद जारी किया जाना चाहिए, लेकिन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद नहीं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास अपने दावे के समर्थन में पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात **02 दिसंबर, 2024** को /उससे पहले निर्धारित फार्मेट मे अन्य पिछड़ा वर्ग का अपेक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिए।

नोट: अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए, केवल केंद्रीय सूची में शामिल जातियों / उप-जातियों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति/उप-जाति जो संबंधित राज्य सूची में शामिल है, लेकिन केंद्रीय सूची (भारत सरकार) में नहीं है, को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा।

13 अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप-आयुक्त/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से कनिष्ठ नहीं (iv) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता है।

14 उम्मीदवार की नियुक्ति जनजाति / वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से और प्रमाणपत्र के सत्यापन तक अनंतिम रहेगा। उम्मीदवार की सेवा बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त की जा सकती है, यदि सत्यापन से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने सहित) का उम्मीदवार होने के प्रति उसका दावा और अन्य प्रमाणपत्र नकली हैं। झूठे प्रमाण पत्र (त्रों) प्रस्तुत करने के लिए सिडबी उम्मीदवार के विरुद्ध आगे भी ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो वह उचित समझता है।

15 **अंग्रेजी /हिन्दी के प्रयोग** के लिए विकल्प साक्षात्कार के दौरान उपलब्ध होगा। उम्मीदवार आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर अपनी विकल्प का उल्लेख कर सकते हैं।

16 उम्मीदवारों को अपने खर्च और जोखिम पर भर्ती पूर्व प्रशिक्षण / ऑनलाइन परीक्षा / व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा। सिडबी किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकृति की किसी भी चोट / हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

17 उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर साक्षात्कार (जैसा लागू हो) के लिए उपस्थित होना होगा। तथापि, बाहर से आनेवाले पात्र अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर, यात्रा के प्रमाण (रेल / बस टिकट आदि) के प्रस्तुत किए जाने पर सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय एसी श्रेणी से रेलवे / बस किराया या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त रियायत(छूट) पहले से ही केंद्र / राज्य सरकार, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों / स्थानीय सरकार, संस्थाओं और पंचायतों आदि की सेवा में सेवारत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

18 चयनित उम्मीदवार, जो पहले से ही सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, को **ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय अपने वर्तमान नियोक्ता से 'मूल रूप में उचित**

कार्यमुक्त पत्र/सेवामुक्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा, जिसमें विफल होने पर उन्हें ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः उम्मीदवार, जो पहले से ही सरकारी/ अर्द्ध - सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की सेवा में हैं, सिडबी में आवेदन करने से पहले अपने वर्तमान नियोक्ताओं के नियमों/विनियमों के अनुसार अपने वर्तमान नियोक्ताओं से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

19 केवल भारत में कहीं भी सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवार ही आवेदन करें ।

20 परीक्षा हॉल में और साक्षात्कार के समय (जो भी लागू हो), कॉल लेटर और उम्मीदवार की वर्तमान वैध फोटो पहचान (कॉल लेटर पर लिखे (अंकित) अनुसार समान नाम अंकन वाला) की एक फोटोप्रति जैसे पैन कार्ड / पासपोर्ट / स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस / मतदाता कार्ड / फोटो के साथ बैंक पासबुक / एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर फोटो के साथ जारी फोटो पहचान प्रमाण /जन प्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लेटरहेड पर फोटो सहित जारी फोटो पहचान प्रमाण/ किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी वैध मौजूदापहचान पत्र/ आधार कार्ड/फोटो के साथ ई-आधार कार्ड/कर्मचारी आईडी/बार काउंसिल का पहचान पत्र सत्यापन के लिए निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवार की पहचान को कॉल लेटर पर दिए गए उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत किए गए आवश्यक दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा. यदि उम्मीदवार की पहचान संदेहपूर्ण है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।

राशन कार्ड और प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस इस परियोजना के लिए वैध आईडी प्रमाण नहीं हैं।

नोट: उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और क्रमश: परीक्षा / साक्षात्कार में भाग लेने के दौरान परीक्षा कॉल लेटर, साक्षात्कार कॉल लेटर के साथ उसी फोटो पहचान प्रमाण की फोटोप्रति जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान लिखा गया नाम) पर लिखा हुआ नाम फोटो पहचान प्रमाण पर लिखे नाम से ठीक उसी तरह से मेल खाना चाहिए।

जिन महिला उम्मीदवारों ने विवाह के बाद पहला/अंतिम/मध्य नाम बदला है, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कॉल लेटर और फोटो पहचान प्रमाण में इंगित नाम के बीच कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम बदला है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब वे राजपत्र अधिसूचना की मूल प्रति/अपने विवाह प्रमाण पत्र की मूल प्रति/ शपथपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।

21 कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजों के बिना ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

(१) परीक्षा के लिए वैध कॉल लेटर।

(२) फोटो-पहचान प्रमाण की मूलप्रति ; और

(३) उसी फोटो-पहचान प्रमाण की फोटोप्रति

22 देर से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार : अर्थात परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉल लेटर पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले का समय है। यद्यपि परीक्षा की अवधि तीन घंटे है, उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करने, लॉग इन करने, निर्देश देने के लिए आवश्यक समय सहित लगभग पांच घंटे के लिए कार्यक्रम स्थल पर रहने की आवश्यकता हो सकती है।

23 कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उम्मीदवारों को स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी विवरण को प्रस्तुत न करें जो गलत है, छेड़छाड़ किए हुए हैं या मनगढ़ंत है और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं जाना चाहिए।

परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है)–

(अ) अनुचित साधनों का उपयोग करना या

(आ) किसी भी व्यक्ति द्वारा जाली व्यक्ति बनना या जाली व्यक्ति बनाना या

(इ) परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा (ओं) की सामग्री का प्रसारण और भंडारण का प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, संचारण, भंडारण या सुविधा प्रदान करना या उसमें किसी भी जानकारी को पूरे या उसके हिस्से को किसी भी रूप या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयोग या

(ई) उसकी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना या

(उ) अनुचित तरीकों से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

(ऊ) परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जानेपर , ऐसा उम्मीदवार स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, निम्न के प्रति उत्तरदायी हो सकता है:

(१) उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है;

(२) सिडबी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना;

(३) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही सिडबी में नियुक्त हो चुका है।

महत्वपूर्ण: सिडबी सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों के जवाबों (उत्तरों) का विश्लेषण करेगा। यदि इस संबंध में सिडबी द्वारा अपनाई गई विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाएं साझा की गई हैं और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो सिडबी संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों (अयोग्य) का परिणाम रोक दिया जाएगा।

24 केंद्र, परीक्षा स्थल का पता, आवेदित पद, परीक्षा और साक्षात्कार की तिथि तथा समय संबंधित कॉल लेटर में सूचित किया जाएगा। एक उम्मीदवार जिसने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है, उसे सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** पर अपना विवरण अर्थात पंजीकरण संख्या और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए । कॉल लेटर/सूचना के हैंडआउट की कोई हार्ड प्रति डाक/कोरियर द्वारा नहीं भेजी जाएगी। ऑनलाइन आवेदनपत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल और / एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी। मोबाइल नंबर, ई-मेल पते, तकनीकी खराबी या सिडबी के नियंत्रण से बाहर अन्य कोई कारण होने के परिणामस्वरूप उम्मीदवार को ई-मेल के माध्यम से भेजे गए किसी भी संचार की देर से प्राप्ति/गैर-प्राप्ति की जिम्मेदारी सिडबी नहीं लेगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण, अपडेट जानकारी और आगे के मार्गदर्शन के लिए पोस्ट की जाने वाली किसी भी अन्य जानकारी के लिए नियमित रूप से सिडबी की वेबसाइट **www.sidbi.in** को देखें तथा साथ ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत अपने ई-मेल को भी समय-समय पर चेक करें।

25 परीक्षा के संचालन में कुछ समस्या होने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है जिससे परीक्षा आयोजन और / या उससे उत्पन्न परिणाम प्रभावित हो सकते हैं । उस स्थिति में, ऐसी समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की आवाजाही, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। परीक्षा का दोबारा आयोजन परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पूर्ण विवेक पर निर्भर है। उम्मीदवारों के पास फिर से परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कोई दावा नहीं होगा। उम्मीदवार जो किसी भी गतिविधि के इच्छुक नहीं हैं या परीक्षा आयोजन में विलंब होने से उस प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें प्रक्रिया से फौरन ही वंचित कर दिया जाएगा।

26 यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों के प्राप्तांकों (स्कोर) को सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षा बैटरी के कठिनाई स्तर के मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए समीकृत किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी भी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

27 यदि ऑनलाइन परीक्षा के किसी विशेष केंद्र को पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प के रूप में नहीं चुनते हैं, तो सिडबी उन उम्मीदवारों को कोई अन्य सहायक केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि किसी केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता की तुलना में उम्मीदवारों की

संख्या अधिक है, तो सिडबी, उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28 इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले दावे या विवाद के किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही या उसके प्रत्युत्तर में कोई आवेदन केवल लखनऊ में, किसी भी खंड विवाद की सुनवाई करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार क्षेत्र लखनऊ के न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/मंचों में ही किया जा सकता है ।

29 उम्मीदवार को **सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आवेदन पत्र के सिस्टम से जनरेट किए गए प्रिंट आउट / पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें ।** पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की पुनः आपूर्ति के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

30 **किसी भी रूप में पक्षप्रचार करना एक अनर्हता होगी।**

31 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन के उदाहरण पाए जाने पर उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाएगा और उसे भविष्य में सिडबी भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे उदाहरणों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चला है, तो ऐसी अनर्हता पूर्व प्रभाव के साथ होगी।

32 किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदनपत्र/उम्मीदवारी को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सिडबी का है और सिडबी का निर्णय उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।

33 बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा, बैंक में आवेदन के लिए पंजीकरण करते समय उल्लिखित ईमेल आईडी पर उम्मीदवार के लिए भेजा गया कोई भी नोटिस या भेजा गया संदेश / संचार, सभी उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार को भेजी गई सूचना का पर्याप्त प्रेषण माना जाएगा।

नोट: उपर्युक्त विज्ञापन और उसके बाद की घोषणाओं पर जारी किए गए किसी भी शुद्धिपत्र को, केवल बैंक की वेबसाइट www.sidbi.in पर प्रकाशित किया जाएगा।

(संदीप वर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

मानव संसाधन विकास उद्-भाग

स्थान:- मुंबई
दिनांक: - 08 नवंबर, 2024

*****

परिशिष्ट I

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए किंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर न किए गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले अर्थात 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती _______________ (अभ्यर्थी का नाम), पुत्र / पुत्री ______________________, ________ निवासी (ग्राम / डाकघर / पुलिस स्टेशन / जिला/राज्य), जिनकी आयु ___________ वर्ष है और जिन्हें(दिव्यांगता की प्रकृति / स्थिति).......... है, की जांच की है, और यह सूचित किया जाता है कि उनकी सीमा है, जो उनकी उपरोक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उन्हें परीक्षा में लिखने के लिए लेखनकर्ता की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपरोक्त अभ्यर्थी द्वारा सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग किया जाता है, जो अभ्यर्थी के लिए लेखनकर्ता की सहायता से परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है।

यह प्रमाण पत्र भर्ती एजेंसियों तथा शैक्षणिक संस्थाओ द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जा रहा है और _____ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक /विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाएं (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी .... अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम, मुहर सहित

स्थान:

दिनांक :..

<u>परिशिष्ट</u>-II

आरपीडबल्यूडी अधिनियम, **2016** की धारा **2 (s)** की परिभाषा के तहत कवर किए गए परंतु, उक्त अधिनियम की धारा **2 (r)** की परिभाषा के तहत नहीं कवर किए गए निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र अर्थात **40%** से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

मैं ______________________________ (विकलांगता/स्थिति का स्वरूप) वाला एक उम्मीदवार हूँ __________________ (परीक्षा का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, मेरा अनुक्रमांक संख्या(रोल न.)______________________ है। मेरे __________________ (केंद्र का नाम) है, जो ____________________ जिला ________________ ______________(राज्य का नाम) में है। मेरी शैक्षणिक योग्यता _________________ है।

2. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए _____________________ (लेखनकर्ता का नाम) अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उनकी शैक्षणिक अर्हता _________________ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षणिक अर्हता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षणिक अर्हता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार को त्याग दूँगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है, तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रति हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:

परिशिष्ट-III

परीक्षा केंद्र – ऑनलाइन परीक्षा (अनुमानित सूची)

चरण I परीक्षा: चरण -I के लिए ऑनलाइन परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	शहर
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा/गुंटूर, विशाखापत्तनम, कुरनूल, राजमुंदरी, गुंटूर	**मध्य प्रदेश**	भोपाल, इंदौर, जबलपुर
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन	**महाराष्ट्र**	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), अमरावती, कोल्हापुर, नांदेड, मुंबई/ नवी मुंबई/ठाणे, नागपूर, नाशिक, पुणे
असम	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़	**मणिपुर**	इम्फाल
बिहार	दरभंगा, पटना, मुज्जफरपुर, भागलपुर,	**मेघालय**	शिलांग
चंडीगढ़	चंडीगढ़ – मोहाली	**मिजोरम**	आइजोल
छत्तीसगढ़	रायपुर, भिलाई, बिलासपुर (सीजी)	**नागालैंड**	कोहिमा
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	सूरत	**ओडिशा**	भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, धेनकनाल
		पुडुचेरी	पुडुचेरी
दिल्ली	दिल्ली एनसीआर	**पंजाब**	अमृतसर, जालंधर, भटिंडा, पटियाला, लुधियाना
गोवा	पणजी	**राजस्थान**	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर
गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा	**सिक्किम**	गंगटोक
हरियाणा	फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला	**तमिलनाडु**	चेन्नै, कोयंबत्तूर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, सलेम
हिमाचल प्रदेश	शिमला, हमीरपुर	**तेलंगाना**	हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू और सांबा, श्रीनगर	**त्रिपुरा**	अगरतला
झारखंड	धनबाद, रांची, जमशेदपुर	**उत्तराखंड**	देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की
कर्नाटक	बेंगलुरु, बेलगावी, मैसूर, हुबली, गुलबर्गा	**उत्तर प्रदेश**	अगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, मेरठ वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, नोएडा
केरल	तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड	**पश्चिम बंगाल**	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता, आसनसोल
लद्दाख	लेह		

चरण II (परीक्षा): चरण -II के लिए ऑनलाइन परीक्षा निम्नलिखित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:

अहमदाबाद/गांधीनगर	हैदराबाद/सिकंदराबाद	श्रीनगर
बेंगलुरू	जयपुर	पटना
भोपाल	जम्मू	पुणे
भुवनेश्वर	कोलकाता/ग्रेटर कोलकाता	रायपुर
चंडीगढ़ - मोहाली	लखनऊ	रांची
चेन्नै	मुंबई/नवी मुंबई/ठाणे/एमएमआर	शिलांग
गुवाहाटी	दिल्ली - एनसीआर	तिरुवनंतपुरम

पटियाला	लुधियाना	

दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अलग से कॉल लेटर जारी किए जाएंगे।

*****

परिशिष्ट IV

अनुभव प्रमाण पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... ने (संगठन का नाम).................... में (तारीख)..................को .... (पदनाम/पद) (स्थायी/संविदात्मक) के रूप में कार्यग्रहण किया । वर्तमान में वे हमारे .... विभाग / कार्यालय/शाखा में .... के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा धारित विभिन्न पदों का विवरण निम्नानुसार है: -

क्रमांक	पदनाम	जहां तैनात किया गया (विभाग/कार्यालय/शाखा)	तारीख से	तारीख तक	अनुभव का विवरण	अनुभव (महीनों में)

तारीख:-
स्थान:-

नाम:-
पदनाम एवं विभाग:-
मुहर:-

नोट:- उपरोक्त प्ररूप में प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा .... (कंपनी/संगठन).......... के लेटरहेड पर जारी किया जाए और उक्त कंपनी/संगठन के नियुक्ति पत्र की एक प्रति संलग्न की जाए।